नवोन्मेष

रुक्टा (राष्ट्रीय)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org, ructarashtriya@gmail.com

केन्द्रीय कार्यालय	:	देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004
प्रधान कार्यालय	:	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305001 (राज.)
अध्यक्ष	:	डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत, बीकानेर मो. 9414452369, 9983007575
महामंत्री	:	डॉ. नारायणलाल गुप्ता, अजमेर मो. 9414497042

परिपत्र क्रं. : रुक्टा (रा.)/2018-19/02 कार्तिक शु. ५ वि. स. २०७५ तदनुसार १२ नवम्बर, 2018

(सभी इकाई सचिवों एवं सक्रिय सदस्यों को समस्त सदस्यों में प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित)

प्रिय/आदरणीय बंधु/भगिनी,

सादर नमस्कार! दीपावली की अनन्त शुभकामनाएँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रकाश का यह पर्व सबके अन्त:करण में ज्ञान-प्रेम तथा सामरस्य का संचार करे।

गत परिपत्र के पश्चात् नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के आदेश, रिफ्रेशर/ऑरियेण्टेशन कोर्स हेतु छूट अवधि बढ़ाने के आदेश, प्रतिनियुक्ति/टी.आर.एफ. आदि अवधि हेतु ए.पी.आई. अंकों में छूट के आदेश, नवीन नियुक्ति प्रक्रिया क्रमश: सम्पन्न होने, विश्वविद्यालय शिक्षक सम्मेलन, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम के विवरण सहित अन्य सांगठनिक, वैचारिक गतिविधियों एवं शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयत्नों की जानकारी के साथ परिपत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत है -

शिक्षक समस्याओं के संबंध में संगठन की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

1. **नवीन यू.जी.सी. वेतनमान हेतु आदेश जारी** - संगठन की निरंतर सक्रियता एवं प्रयत्नों के परिणामस्वरूप अंतत: राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए नवीन यूजीसी वेतनमान के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F9(1)FD(Rules)/2018 दिनांक 26-9-2018 के द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के एवं शिक्षा ग्रुप-4 के आदेश क्रमांक F.1(4)Edu-4/2016 दिनांक 1-10-2018 के द्वारा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रं. 1-7/2015-U-II(i) दिनांक 2-11-2017 एवं यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 दिनांक 18 जुलाई 2018 के अनुसार सातवें वेतन आयोग के अनुरूप नवीन यू.जी.सी. वेतनमान का लाभ प्रदान करने के आदेश प्रसारित किए गए। यू.जी.सी. एवं एम.एच.आर.डी. द्वारा अनुशंसित अकादमिक स्तरों का लाभ बिना किसी परिवर्तन के एवं वार्ता के आधार पर देने का रुक्टा (राष्ट्रीय) स्वागत करता है तथा राज्य सरकार का आभार प्रकट करता है।

   मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नवंबर माह में भेजे गए पत्र के साथ ही संगठन ने नवीन यूजीसी वेतनमान के संबंध में राज्य स्तर पर प्रयास करना शुरू किए थे । संगठन के प्रयत्नों के फलस्वरूप इस संबंध में आने वाले वित्तीय भार की गणना विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के स्तर पर करवाने के आदेश जारी किए गए। उसके बाद से ही रुक्टा (राष्ट्रीय) ने विभिन्न स्तरों पर लगातार दबाव बनाया रखा। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी जी, प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री तन्मय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा एवं वित्त से मिलकर प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कर सातवाँ वेतन दिलवाने के लिए संगठन निरंतर प्रयासरत रहा। मुख्यमंत्री जी से हुई भेंट में उन्होंने नवीन यूजीसी वेतनमान राज्य की उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों बहुत शीघ्र देने का विश्वास संगठन को दिलाया था। संगठन के पत्र पर मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कार्रवाई प्रारंभ हुई। संगठन ने फाइल की प्रगति पर निरंतर नजर रखी। इस संबंध में समस्त प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग, वित्त विभाग एवं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकृति, कैबिनेट स्वीकृति, मंत्रीमंडलीय आज्ञा, वित्त विभाग से आदेश जारी होने तक संगठन ने निरन्तर दबाव बनाए रखा।

   पूरे आदेश का समग्रता से अध्ययन करने के बाद आदेश में कुछ विसंगतियाँ ध्यान आई है, जिन्हें शिक्षकहित में शीघ्र दूर करने की माँग संगठन ने शासन से की है। कुछ बंधुओं द्वारा आदेश को गहराई से समझे बिना उथली व भ्रामक टिप्पणियाँ भी की गई और कांग्रेस- भाजपा में विषय को बाँटने का प्रयत्न किया। दुर्भाग्य से दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्र ने भी बिना तथ्यों को जाँचे झूठे

तथ्य प्रकाशित कर अपनी प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया। लेकिन रुक्टा राष्ट्रीय की परंपरा अविद्यमानं मूलं यस्य - अमूलम् किंचित् न लिख्यते की रही है,क्योंकि झूठ बहुत देर तक टिकता नहीं है। आदेश का विश्लेषण करने पर ध्यान में आता है कि-

यूजीसी पे स्केल को एज इट इज लागू किया गया है। पहली बार प्रोफेसर पद हेतु 10000 एजीपी के अनुरूप एकेडमिक लेवल की व्यवस्था आदेशों में की गई है। ज्ञातव्य है कि 2006 के वेतनमानों में यूजीसी द्वारा प्रोफेसर पद हेतु दी गई 10000 एजीपी को राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया था। इसके साथ ही यूजीसी वेतनमान में उल्लिखित तथा ललित कोठारी आयोग के द्वारा अनुशंसित पदनाम न देकर व्याख्याता पदनाम ही रहने दिया गया था। पुराने पदनाम के कारण हमें लंबे समय तक बड़ा अकादमिक नुकसान तथा प्रोफेसर पद पर पदोन्नति न होने के कारण अकादमिक के साथ-साथ बड़ा वित्तीय नुकसान भी झेलना पड़ा है। इस बार यूजीसी वेतनमान बिना किसी कमेटी के बनाए दिया गया है। मामले को लंबित करने के लिए इस वेतन आयोग हेतु भी एक कमेटी बनाई जा सकती थी; किंतु इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का सकारात्मक रुख रहा है।

छठे वेतन आयोग के समय 1 जनवरी 2006 से 30 सितंबर 2009 तक यानी 45 महीने के एरियर का 60 प्रतिशत जीपीएफ में जमा कराने के आदेश किए थे और हमें याद होगा शेष 40 प्रतिशत हम लंबे संघर्ष के उपरांत वर्षों बाद ले पाए थे। इस बार के आदेश में 1 जनवरी 2017 से 31 जुलाई 2018 तक यानी 19 महीने का एरियर एकमुश्त जीपीएफ में इसी वित्तीय वर्ष में जमा करने के आदेश हैं। 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों के लिए(जहां जीपीएफ की व्यवस्था नहीं है) इसी वित्तीय वर्ष में 1 अक्टूबर 2018, 1 दिसंबर 2018 व 1 फरवरी 2019 को 30-30-40 के अनुपात में एरियर भुगतान करने के आदेश किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट रूप से यह अंकित होने के बाद भी सोशल मीडिया व दैनिक भास्कर के माध्यम से झूठ प्रचारित किया गया।

आदेश के बिंदु संख्या 18 में स्पष्ट लिखा है कि राजस्थान एजुकेशन सर्विस (कॉलेजिएट ब्रांच) रूल्स 1986 में 1 जनवरी 2016 से समग्र रूप से संशोधन (सेवानिवृत्ति आयु एवं 20 वर्ष पर 50 प्रतिशत पेंशन के प्रावधान को छोड़कर- जैसा पिछली बार भी राज्य सरकार ने किया था) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 2 नवंबर 2017 के पत्र एवं यूजीसी के 2018 के रेगुलेशन के अनुरूप होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 31 जनवरी 2018 को राज्य सरकारों को जो पत्र भेजा है उसमें 2 नवम्बर 2017 के पत्र के अनुसार वेतन नियतन के निर्देश हैं। 18 जुलाई 2018 को जारी यूजीसी रेगुलेशन में परिशिष्ट के रूप में यह पत्र लगाया गया है। यह सब तथ्य यूजीसी की वेबसाइट से सत्यापित किए जा सकते हैं। पूरे देश में यू.जी.सी. के पत्र के अनुरूप यही आदेश लागू किए गए हैं। इस संबंध में आदेश की भावना यूजीसी के अनुसार ही है।

सरकार ने इस आदेश में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार सेवा नियमों में संशोधन की बात की है। हम सबको ध्यान है कि रुक्टा (राष्ट्रीय) और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रयासों की एक लंबी श्रृंखला के फलस्वरूप चौहान समिति रिपोर्ट, गुप्ता समिति रिपोर्ट व ड्राफ्ट रेगुलेशन आदि में संशोधन होकर शिक्षक हित संबंधी अनेक प्रावधान नवीन यूजीसी रेगुलेशन में हुए हैं। इसकी पहली परिणति रिफ्रेशर व ओरिएंटेशन कोर्स में छूट की अवधि 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के 28 सितंबर 2018 के आदेश के रूप में हुई। संगठन के प्रयासों से यूजीसी रेगुलेशन में सी ए एस हेतु अब तक के सबसे विवादित एपीआई तंत्र की विदाई, महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद पर सीमा हटाने, संस्थान में ठहराव की अवधि प्रस्तावित 7 घंटे के स्थान पर 5 घंटे करने, न्यूनतम कार्यभार 14 व 16 घंटे में से न्यूनतम शब्द हटाने, एम. फिल./पीएच.डी. की वेतन वृद्धियों की रेगुलेशन में व्यवस्था करने (हालाँकि हम राज्य में मई 2002 में तत्कालीन सरकार द्वारा पीएच.डी. व एमफिल की अग्रिम वेतन वृद्धियों पर लगाई गई रोक को समस्त प्रयासों के बाद भी नहीं हटवा पाए हैं), नवीन रेगुलेशन की अधिसूचना जारी होने तक सीएएस हेतु एपीआई में छूट की व्यवस्था, पुराने रेगुलेशन से नवीन रेगुलेशन में मूवमेंट हेतु 3 वर्ष की अवधि जैसे अनेक शिक्षक हितकारी प्रावधान हुए हैं। संगठन यह भी स्पष्ट अनुभव एवं समझ रखता कि आदेश में यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 के अनुसार समग्र रूप से संशोधन की बात का उल्लेख होने के बाद भी उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के लिए इसको एज़ इट इज़ लागू करवाना चुनौती है। इसका उदाहरण 2013 में यू.जी.सी. को तत्कालीन सरकार द्वारा दिए गए झूठे घोषणा पत्र में हम देख चुके हैं। जब तत्कालीन सरकार ने यू.जी.सी. से यह कहकर पैसा उठाया था कि उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2010 को पदनाम सहित एज ए कंपोजिट स्कीम लागू कर दिया है। इस विषय में सूचना के अधिकार में जानकारी प्राप्त कर संगठन ने राज्य से लेकर केंद्र तक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। राजनीति और नौकरशाही के स्वभाव को देखते हुए संगठन इस बार भी सतर्क रहने वाला है तथा शिक्षक हित में किसी प्रकार के अवरोध को स्वीकार नहीं करने वाला है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि छठे वेतनमान के संबंध में यू.जी.सी. रेगुलेशन 30 जून 2010 को जारी किए गए थे किंतु तत्कालीन सरकार द्वारा इस संबंध में नियम 8 मई 2013 को बनाए तथा उन्हें भी सार्वजनिक नहीं किया। फलस्वरूप 31 दिसंबर 2008 के 6 वर्ष बाद सरकार बदलने पर ही नवंबर 2014 में सी. ए. एस. का लाभ मिल पाया। सामान्य चीज़ों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है तब चीज़ें पटरी पर आती हैं। 2015 में सी.ए.एस. का लाभ मिलने के बाद पिछले 3 वर्षों में संगठन ने निरंतर सक्रियता से लड़ाई लड़ी है इसका परिणाम है कि नौकरशाही द्वारा सी. ए. एस. नियमों को और अधिक कठिन बना कर शिक्षकों के सी.ए.एस. लाभ में अवरोध उत्पन्न करने के प्रयासों पर संगठन ने सफलतापूर्वक रोक लगाई है। फलस्वरूप 30 जून 2017 तक सी.ए.एस. के लाभ देने की प्रक्रिया अन्तिम चरणों में है तथा 30 जून 2018 तक पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्र मंगाने पर भी सहमति बनी है।

वेतन नियतन को लेकर भी कुछ साथियों द्वारा भ्रम की स्थिति निर्माण की गई। इस संबंध में आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। इंडेक्स ऑफ

रेशनलाइजेशन एवं पे फिक्सेशन मल्टीप्लिकेशन फेक्टर दोनों अलग-अलग अवधारणा है। एकेडमिक लेवल के प्रारंभ हेतु इंडेक्स ऑफ रेशनलाइज़ेशन है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में यूजीसी के आदेश के अनुरूप ही एजीपी 6000 ,7000 और 8000 के संगत एकेडमिक लेवल का प्रारंभिक वेतन एंट्री पे को 2.67 से मल्टीप्लाई कर तय किया गया है। पे बैंड 4 में दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट जोड़ते हुए एंट्री पे 49200 मानी गई है। इसे 2.67 से गुणा कर एकेडमिक लेवल के प्रारंभिक वेतन की शुरुआत 131400 पर की गई है तथा ए.जी.पी. 10000 हेतु इंडेक्स आफ रेशनलाइज़ेशन 2.72 रखा गया है। पे फिक्सेशन हेतु 2.57 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। 1 जनवरी 2016 की बेसिक पे को 2.57 से गुणा करने पर राशि आती है यदि वह राशि पे मैट्रिक्स में एप्लीकेबल एकेडमिक लेवल के कॉलम में किसी सेल से मैच करती है तो ठीक अन्यथा उस एकेडमिक लेवल में ठीक ऊपर वाले सेल की राशि मूल वेतन होगा। पूरे देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं जिन राज्यों में सातवाँ वेतन आयोग लागू हुआ है वहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यू.जी.सी. रेगुलेशन के अनुरूप 2.57 ही है। हालाँकि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने केंद्र सरकार से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.67 व 2.72 करने की मांग बार-बार भेंट वार्ताओं व ज्ञापनों में की है तथा संगठन इस संबंध में निरंतर केंद्र के संपर्क में है।

दैनिक भास्कर समाचार पत्र एवं कुछ बन्धुओं द्वारा यह झूठ भी फैलाया गया कि पाँचवें वेतनमान के समय तत्कालीन भाजपा सरकार ने 2 वर्ष का नोशनल लाभ दिया था जिसे बाद में कांग्रेस सरकार ने आकर ठीक किया। सच यह है कि यू.जी.सी. द्वारा 27 जुलाई 1998 को पाँचवें वेतनमान के आदेश जारी किए गए। उसमें रही खामियों की तरफ देशभर में शिक्षक संगठनों की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। परिणामस्वरूप यू.जी.सी. द्वारा 6 नवंबर 1998 को संशोधित आदेश प्रसारित किए गए। उस समय राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू थी अत: राज्य में नई सरकार आने के बाद प्रथम बार 7 मई 1999 को पाँचवें यूजीसी वेतनमान देने के आदेश जारी किए गए। जब पहली बार आदेश ही मई 1999 में जारी हुए तो इससे पूर्व नोशनल लाभ की बात कहाँ से आती है? ऐसा पहली बार हुआ है कि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए यह नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के आदेश एक ही दिन में जारी हुए हैं। बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी आदेश में जो विसंगतियाँ हैं जिसे संगठन कतई स्वीकार नहीं करता है। इन विसंगतियों को शिक्षक हित में ठीक करवाने के लिए रुक्टा (राष्ट्रीय) प्रतिबद्ध एवं कटिबद्ध है और जब तक अपेक्षित लक्ष्य हासिल नहीं कर लिया जाता हम रुकने, थकने या हार मानने वाले नहीं हैं।

2. **आयुक्तालय एवं अन्य विभागों में नियुक्त/प्रतिनियुक्त एवं टी.आर.एफ./पी.डी.एफ. आदि योजनाओं में स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ए.पी.आई. अंकों में छूट के आदेश जारी** - राज्य सरकार की 8 मई 2013 को प्रसारित सीएएस योजना के अनुसार आयुक्तालय में पदस्थापित/विभिन्न स्थानों पर प्रतिनियुक्त शिक्षकों के लिए एवं टीआरएफ/ पीडीएफ/रिफ्रेशर/ओरिएंटेशन कोर्सेज आदि योजनाओं हेतु अवकाश एवं मेडिकल लीव/एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आदि सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के उपरांत भी इस अवधि में शिक्षकों के लिए वरिष्ठ/चयनित वेतनमान तथा पे बैंड 4 हेतु शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक गतिविधियों के न्यूनतम एपीआई अंक की आवश्यकता का प्रावधान किया हुआ है। संगठन के संज्ञान में आने के पश्चात् इस विषय को विभिन्न प्लेटफार्म पर उठाया गया। राज्य सरकार से भेंटवार्ताओं व पत्रों के माध्यम से अपेक्षित संशोधन करने की माँग की गई। संगठन द्वारा शासन के समक्ष तर्कों व तथ्यों के साथ शिक्षकों का पक्ष रखा गया कि जो शिक्षक आयुक्तालय/क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य विभागों में राज्य सरकार के आदेश से नियुक्त/प्रतिनियुक्त हैं वहाँ शिक्षण एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों के स्थान पर प्रशासनिक एवं अन्य कार्य करने होते हैं इस कारण ऐसे शिक्षकों के सी.ए.एस. योजना के अनुसार वरिष्ठ/चयनित वेतनमान एवं पे बैंड IV हेतु श्रेणी-I एवं श्रेणी-II में वांछित ए.पी.आई. अंक पूर्ण नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार जिन शिक्षकों ने फैकल्टी इम्प्रुवमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत पीडीएफ/टीआरएफ योजना में शोध कार्य हेतु अपने गाइड के अधीन/प्रोजेक्ट में कार्य किया है अथवा कार्यरत हैं, ऐसे शिक्षकों से श्रेणी-I एवं II में अंक अपेक्षित करना नितांत अनुचित है। किसी सत्र विशेष में ओरिएन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने वाले शिक्षक भी इन श्रेणियों में कोर्स अवधि के दौरान अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि ये सभी शिक्षक ड्यूटी पर होते हैं। इसी प्रकार आयुक्त/प्राचार्य से स्वीकृत पी.एल./एम.एल./ई.ओ.एल. अवकाश की अवधि में भी उक्त श्रेणियों में अपेक्षित अंक प्राप्त करना संभव नहीं है।

रुक्टा (राष्ट्रीय) द्वारा यह विषय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संज्ञान में भी लाया गया। महासंघ ने यह विषय यूजीसी अध्यक्ष के समक्ष रखा तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु दबाव बनाया। महासंघ के प्रयासों से यूजीसी ने पत्र क्रमांक F.No. 9-1/20109 PS/(misc) दिनांक 5 सितम्बर 2018 द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया। संगठन द्वारा यूजीसी का यह स्पष्टीकरण उच्च शिक्षा मंत्री जी के समक्ष रखते हुए राज्य सरकार द्वारा समुचित निर्देश जारी करने की माँग की गई ताकि शिक्षकों के मध्य असमंजस खत्म होकर उन्हें न्याय मिल सके। संगठन के पत्र पर कार्रवाई करते हुए शासन ने क्रमांक प.1(6)शिक्षा-4/2010 पार्ट-I दिनांक 28 सितम्बर 2018 को जारी आदेश द्वारा यू.जी.सी. के पत्रानुसार ए.पी.आई. अंकों में छूट के आदेश जारी कर दिए हैं।

3. **रिफ्रेशर/ऑरियेन्टेशन कोर्स हेतु छूट अवधि 31 दिसम्बर 2018 बढ़ाने के आदेश जारी** - नवीन यूजीसी रेगुलेशन में रुक्टा (राष्ट्रीय) एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रयासों से ओरियंटेशन व रिफ्रेशर कोर्स में छूट की अवधि 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया । संगठन ने इस विषय में लंबे समय से माँग राज्य सरकार व केंद्र सरकार के समक्ष रखी थी। नवीन रेगुलेशन में प्रावधान होने के बाद संगठन में उच्च शिक्षा मंत्री जी से इस संबंध में शीघ्र आदेश जारी करने की मांग की थी। संगठन के लगातार प्रयत्नों के परिणामस्वरूप इस विषय में सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय ले लिया गया तथा 28 सितम्बर 2018 को

शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग द्वारा आदेश जारी कर ऑरियेन्टेशन व रिफ्रेशर कोर्स की छूट अवधि 31 दिसम्बर 2018 तक बढ़ा दी। इस संबंध में स्पष्टीकरण हेतु संगठन ने पूर्व में यू.जी.सी. को भी पत्र लिखा था। यू.जी.सी. ने इस संदर्भ में पत्र क्रमांक F.No. 2-16/2002 (PS)PtF.I.II. दिनांक 16 अक्टूबर 2018 को पुन: स्पष्टीकरण जारी कर दिया। इसके जारी होने से संबंधित शिक्षकों को न्याय तथा समय पर उनका वित्तीय अधिकार मिल सकेगा।

4. **नवीन यू.जी.सी. वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने की माँग** - संगठन ने मुख्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, वित्त एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विस्तृत पत्र लिखकर नवीन यू.जी.सी. वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने की माँग की है। संगठन द्वारा शिक्षकों का पक्ष रखते हुए बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों को 1-1-2016 से 31-12-2016 तक नवीन यू.जी.सी. वेतनमान का नोशनल लाभ एवं वास्तविक लाभ 1-1-2017 से देने का प्रावधान किया गया है। 1-1-2016 से 31-12-2016 तक की अवधि का एरियर भुगतान नहीं करने के आदेश शिक्षकों के न्यायोचित वित्तीय अधिकारों का हनन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पत्र क्रमांक F.NO.23-4/2017(PS) दिनांक 31 जनवरी 2018 एवं मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय ने पत्र क्रमांक F.1-1/2018-U.II दिनांक 26 जुलाई 2018 के द्वारा देश के सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को दिनांक 2 नवम्बर 2017 द्वारा प्रसारित नवीन यू.जी.सी. वेतनमानों को संबंधित राज्यों में 1-1-2016 से लागू करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। यू.जी.सी. एवं एम.एच.आर.डी. ने उक्त पत्रों में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों द्वारा नवीन यू.जी.सी. वेतनमान को कम्पोजिट स्कीम के रूप में 1-1-2016 से लागू करने की शर्त पर ही 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक के एरियर हेतु केन्द्र द्वारा 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी।

संगठन, शासन के ध्यान में यह तथ्य भी लाया है कि राज्य सरकार नवीन यू.जी.सी. वेतनमान कम्पोजिट स्कीम के रूप से लागू करने की शर्त पूर्ण नहीं करती है। अत: राज्य सरकार नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के कारण दिनांक 1-1-2016 से 31-3-2019 तक के एरियर के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का 50 प्रतिशत (19.5 माह के सम्पूर्ण एरियर के तुल्य) लेने का हकदार नहीं रहेगी। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के 12 माह के एरियर नहीं देने से जहाँ शिक्षकों को बड़ी वित्तीय हानि होगी वहीं केन्द्र से 19.5 माह के एरियर न मिलने से प्रभावी तौर पर बचत के स्थान पर राज्य सरकार पर भी अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
संगठन ने शिक्षकों का पक्ष रखते हुए तथ्य प्रस्तुत किए हैं कि देश भर में उच्च शिक्षा में एकरूपता एवं महत्ता बनाए रखने के लिए यू.जी.सी. एक्ट के अनुरूप महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतनमान अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों से डीलिंक किए गए हैं। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के पृथक् यू.जी.सी. वेतनमान देने के लिए हर वेतनमान में अतिरिक्त वित्तीय भार का कुछ भाग वित्तीय सहायता के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता रहा है जबकि राज्य कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के कारण पड़ने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त वित्तीय भार को राज्य सरकार को ही वहन करना पड़ता है। पूर्व के वेतनमानों में राज्य के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों को केन्द्र के समान ही तिथि से लागू करते हुए एरियर भी उसी तिथि से दिया जाता रहा है, अत: सातवें वेतनमान में यह अन्तर अनुचित है।

संगठन ने शासन के समक्ष एक और महत्त्वपूर्ण विसंगति को प्रस्तुत किया है कि महाविद्यालय शिक्षकों के नवीन वेतनमान आदेशों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 2-11-2017 के पत्र के अनुरूप नवपदस्थापित स्नातक प्राचार्य को एसोसिएट प्रोफेसर के तुल्य अकादमिक लेवल 13ए का लाभ देने का प्रावधान किया है जबकि भारत के राजपत्र में प्रकाशित यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 के द्वारा 2-11-2017 को जारी नवीन यू.जी.सी. वेतनमान की इस विसंगति को दूर करते हुए स्नातक प्राचार्य को भी स्नातकोत्तर प्राचार्य के समान ही अकादमिक लेवल 14 का लाभ देने का प्रावधान रखा है। यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 के अनुरूप स्नातक प्राचार्य को अकादमिक लेवल 13ए के स्थान पर 14 का लाभ दिए जाने की माँग संगठन द्वारा की गई है।

प्रोबेशन पर कार्यरत शिक्षकों के संदर्भ में नवीन वेतनमानों में रही कमी की ओर शासन का ध्यान दिलाते हुए संगठन ने बताया है कि पुनरीक्षित वेतनमान में प्रोबेशन अवधि में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर प्रोबेशनर ट्रेनी को 40,000/- का नियत मानदेय देने का प्रावधान है जबकि राज्य सरकार ने ही दिनांक 30 अक्टूबर 2017 को राज्य के अन्य कर्मचारियों के लिए प्रसारित सातवें वेतनमान के आदेश के Schedule II के क्रम संख्या 14 पर छठे वेतनमान की ग्रेड पे 6000 में पूर्व में दिए जा रहे नियत मानदेय 24030/- को संशोधित कर नवीन मानदेय 42500/- किया है। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों को भी छठे वेतनमान में ग्रेड पे 6000 के अनुरूप प्रोबेशन अवधि में 24030/- का मानदेय दिया जाता था ऐसे में नवीन यू.जी.सी. वेतनमान में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत प्रोबेशनर ट्रेनी का वेतन 42500/- करने हेतु संगठन द्वारा दबाव बनाया गया है।

संगठन ने राज्य शासन का ध्यान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 2-11-2017 के बिन्दु संख्या (2) Revised Pay for Teachers and Equivalent Positions के उपबिन्दु (i) Pay Fixation Method(g) की ओर दिलाते हुए बताया है कि एम.एच.आर.डी. के उपर्युक्त आदेश में यदि किसी अकादमिक लेवल में वेतन नियतन करते समय दो स्तर एक साथ एक Cell पर आते हैं तो प्रत्येक Bunched दो स्तरों के लिए अतिरिक्त 3 प्रतिशत की वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है, जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन वेतनमान के नियमों में सम्मिलित नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 2-11-2017 के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन यू.जी.सी. वेतनमान में दो या दो से अधिक स्तरों की Bunching होने पर अतिरिक्त

वेतनवृद्धि का प्रावधान करने की माँग संगठन द्वारा की गई है। व्यापक शिक्षक हित में संगठन उपर्युक्त विसंगतियों को दूर करवाने तक संगठन निरन्तर प्रयासरत रहने वाला है।

5. **नवीन नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करवाने हेतु प्रयास** – संगठन ने पिछले समय में राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं सरकार के विभिन्न स्तरों पर निरंतर संपर्क व दबाव बनाकर महाविद्यालयों में नवीन नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करवाने हेतु कठोर परिश्रम किया है। सरकार के सहयोग एवं संगठन के प्रयासों से मनोविज्ञान, गणित, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, जियोलॉजी, उर्दू, भौतिक शास्त्र, चित्रकला, फारसी, विधि, समाजशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, एबीएसटी प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, हिंदी साहित्य, लोक प्रशासन आदि विषयों में लगभग 850 शिक्षकों के अंतिम नियुक्ति आदेश जारी हुए। अधिकांश स्थानों पर शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया, किन्तु आदर्श आचार संहिता लग जाने के कारण कुछ स्थानों पर प्राचार्यगण द्वारा नए शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करवाने में असमर्थता जताई गई। संगठन के संज्ञान में आते ही इस विषय को लेकर संगठन ने प्रयास प्रारंभ किए तथा विषय को सरकार के ध्यान में लाते हुए नव चयनित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करवाने की माँग की गई । अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) एवं आयुक्त महोदय द्वारा भी इस विषय में सकारात्मक रुख अपनाया गया। अंततः मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकार संपन्न समिति ने नवचयनित शिक्षकों को, जिनके नियुक्ति आदेश, आचार संहिता लागू होने से पूर्व जारी हो चुके थे, कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु स्वीकृति जारी कर दी। संगठन इस विषय में अपेक्षित तीव्रता दिखाने के लिए शासन का आभार व्यक्त करता है तथा नवनियुक्त शिक्षकों को बहुत-बहुत बधाई प्रेषित करता है।

संगठन लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं । आयोग अध्यक्ष के साथ संगठन की हुई वार्ता के परिणामस्वरूप शेष बचे विषयों में भी साक्षात्कार प्रक्रिया जारी रहने वाली है। अंग्रेजी साहित्य विषय के साक्षात्कार हेतु तिथियाँ संगठन के प्रयासों से घोषित की गई। अंग्रेजी में साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण कर परिणाम घोषित कर दिया गया है। ई.ए.एफ.एम. विषय में भी साक्षात्कार हेतु तिथियाँ घोषित कर दी गई है। संगठन द्वारा सरकार के यह भी संज्ञान में लाया गया कि इतिहास विषय में चयनित शिक्षकों के अभिस्तावना प्रस्ताव लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में ही भिजवा दिए हैं। विद्यार्थियों एवं नवचयनित शिक्षकों के व्यापक हित को देखते हुए इतिहास विषय में नियुक्ति प्रक्रिया भी सक्षम अनुमति लेकर शीघ्र संपन्न करवाने की माँग संगठन द्वारा की गई। परिणामस्वरूप इतिहास में काउन्सिलिंग प्रक्रिया सम्पन्न की जा चुकी है तथा शीघ्र ही नियुक्ति आदेश जारी होने की संभावना है।

6. **एच.आर.ए./सी.सी.ए. आदि भत्तों के संबंध में समुचित आदेश जारी करने की माँग** – संगठन के निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप वित्त विभाग ने आदेश क्रमांक F.9(1)FD(Rules)/2018 दिनांक 26-9-2018 के द्वारा महाविद्यालय शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किया; किन्तु नवीन वेतनामान के आदेश के साथ संशोधित वेतनमान में एच.आर.ए., सी.सी.ए., जी.पी.एफ. कटौती दर आदि के आदेश प्रसारित नहीं हुए। संगठन द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा के ध्यान में लाया गया कि राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में एच.आर.ए., सी.सी.ए., जी.पी.एफ. कटौती दर आदि के आदेश गत वर्ष उनके सातवें वेतनमान के आदेश के साथ ही प्रसारित कर दिए थे वहीं महाविद्यालय शिक्षकों के नवीन वेतनमान आदेश के साथ भत्तों की दरों के संबंधित आदेश प्रसारित नहीं होने से आदेश की अनुपालना में एरियर आदि की गणना व भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है। संगठन ने शासन से माँग की है कि पूर्व में राज्य कर्मचारियों के लिए प्रसारित एच.आर.ए., सी.सी.ए., जी.पी.एफ. कटौती दर आदि का आदेश महाविद्यालय शिक्षकों पर भी लागू किए जाने के समुचित आदेश शीघ्र जारी किए जाएँ। संगठन के प्रयत्नों से उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने वित्त विभाग से सम्पर्क कर समुचित कार्रवाई का अनुरोध किया है। शीघ्र ही अपेक्षित आदेश जारी होने की संभावना है।

7. **यू.जी.सी. वेतनमान के अनुरूप पे मैनेजर में संशोधन करवाने हेतु प्रयास** – संगठन के प्रयत्नों से महाविद्यालय शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित सातवें वेतनमान का लाभ देने हेतु विभिन्न महाविद्यालयों में वेतन नियतन का कार्य प्रारम्भ हुआ किन्तु जब नवीन वेतनमान के अनुरूप पे मैनेजर पर महाविद्यालय शिक्षकों का वेतन संशोधित किया जाने लगा तो ज्ञात हुआ कि राज्य के पे मैनेजर पर यू.जी.सी. वेतनमान अनुरूप विभिन्न एकेडमिक लेवल/पे मैट्रिक्स तथा महाविद्यालय शिक्षकों के नवीन पदनाम भी उपलब्ध नहीं है। संगठन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) व आयुक्त कॉलेज शिक्षा से अविलम्ब इस प्रकरण में समुचित कार्रवाई करते हुए पे मैनेजर में यू.जी.सी. वेतनमान अनुरूप पे मैट्रिक्स तथा पदनाम सम्मिलित करवाने की माँग की। संगठन की माँग पर सकारात्मक कार्यवाही करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने निदेशक (कोष एवं लेखा) तथा वित्त विभाग को संगठन को पत्रानुसार संशोधन करने हेतु लिखा। पे मैनेजर में शीघ्र ही अपेक्षित संशोधन हो जाएगा, इसका विश्वास शासन ने संगठन को दिलाया है।

8. **विधानसभा चुनावों में महाविद्यालय शिक्षकों की ड्यूटी गरिमानुरूप लगाने की माँग** – आगामी विधानसभा चुनाव हेतु कुछ स्थानों पर जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा महाविद्यालय शिक्षकों की ड्यूटी पद व वेतन के अनुसार नहीं लगाई गई। संगठन के संज्ञान में आने पर महाविद्यालय शिक्षकों की ड्यूटी पद, वेतन व वेतनमान के अनुरूप गरिमानुसार लगाने की माँग मजबूत एवं तार्किक ढंग से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष रखी गई। संगठन द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विस्तृत पत्र लिख कर बताया गया कि चुनावों में राजस्थान के महाविद्यालय शिक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए दायित्वों को निष्ठापूर्वक निभाते रहे हैं, किन्तु

दुर्भाग्य से लापरवाही से या जानबूझकर कतिपय जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा महाविद्यालय शिक्षकों की ड्यूटी उनके पद, वेतन एवं वेतनमान की गरिमानुसार नहीं लगाई गई। पूर्व में निर्वाचन आयोग को लिखने के पश्चात् आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस प्रकार के निर्देश भी प्रसारित किए थे कि राजस्थान में महाविद्यालय शिक्षकों को चुनाव कार्य में नियुक्त करते समय उनके पद, वेतन एवं वेतनमान का ध्यान रखा जावे। इसके बावजूद कतिपय स्थानों पर न केवल कनिष्ठ अधिकारी को सेक्टर/जोनल अधिकारी बनाया गया बल्कि उनके ही सेक्टर/जोन में महाविद्यालय शिक्षकों को पीठासीन अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। संगठन की स्थानीय इकाईयों के प्रतिनिधियों ने भी जिला निर्वाचन अधिकारियों से मिलकर विरोध दर्ज कराया। संगठन के प्रयासों से कई शिक्षकों की ड्यूटी या तो निरस्त की गई या पद,वेतन व वेतनमान के अनुसार लगाई गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से भी समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी किया गया कि चुनाव ड्यूटी में पद की गरिमा और वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए।

9. **वरिष्ठ/चयनित वेतनमान एवं पे बैंड-4 हेतु सी.ए.एस. प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए प्रयास** - जिन शिक्षकों के 30 जून 2013 के पश्चात् पे बैंड 4 तथा 30 जून 2015 के बाद वरिष्ठ/चयनित वेतनमान लम्बित हुए हैं उनको उनका न्यायोचित वित्तीय अधिकार दिलवाने में संगठन ने गहन संघर्ष किया है। इस संबंध में आवेदन पत्र मंगवाने से लेकर सी.ए.एस. की प्रक्रिया को सरलीकृत कर संपन्न करवाने के लिए भी संगठन ने नौकरशाही के साथ लंबी लड़ाई लड़ी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात् कुछ शिक्षकों ने निराशा भरी प्रतिक्रिया भी दी थी, किंतु संगठन परिस्थितियों से निरपेक्ष रहकर अपने लक्ष्य की ओर कार्य करने में विश्वास रखता है। आचार संहिता लागू होने के पश्चात् भी संगठन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा), आयुक्त कॉलेज शिक्षा तथा राज्य निर्वाचन आयोग से निरंतर संपर्क में रहते हुए सी.ए.एस. की प्रक्रिया को संपन्न करवाने के गंभीर प्रयास किए। संगठन के निरंतर प्रयत्नों की परिणति में शासन द्वारा 30 जून 2017 तक पे बैंड 4 हेतु पात्र शिक्षकों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करवाने की प्रशासनिक अनुमति दे दी है। संगठन प्रयासरत है कि शीघ्र ही राजस्थान लोक सेवा आयोग से वरिष्ठ, चयनित, वेतनमान एवं पे बैंड 4 हेतु स्क्रीनिंग बैठक हेतु तारीख मिल जाए ताकि पात्र शिक्षकों को उनका वित्तीय अधिकार प्राप्त हो सके।

10. **राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह सम्पन्न** - जयपुर में आयोजित हायर एजुकेशन कांक्लेव में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जी जावड़ेकर एवं राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी द्वारा 12 शिक्षकों एवं दो महाविद्यालयों को उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं उल्लेखनीय कार्य हेतु सम्मानित किया गया। रुक्टा (राष्ट्रीय) सभी सम्मानित शिक्षकों एवं डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर एवं सनातन धर्म महाविद्यालय, ब्यावर के समस्त स्टाफ को बहुत-बहुत बधाई देता है तथा उन्हें निरंतर नई उपलब्धियाँ अर्जित करते हुए शैक्षिक पथ पर कर्मरत रहने हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करता है। पिछले 2 वर्षों से संगठन द्वारा इस विषय को शासन के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया था। संगठन की मांग से सहमत होते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने बीकानेर अधिवेशन में उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को राज्यस्तर पर सम्मानित करने की घोषणा की थी। संगठन का मत रहा है कि हम शिक्षक सम्मान के लिए कार्य नहीं करते किंतु अच्छे कार्य को महत्व देने से शिक्षक उत्साह व प्रेरणा पाते हैं तथा समाज में शिक्षक के प्रति एक अच्छा वातावरण निर्मित होता है। अंततः उच्च शिक्षा के इतिहास में शिक्षकों के योगदान का पहली बार सार्वजनिक रूप से सम्मान हुआ है। शिक्षकों की भावनाओं के अनुरूप उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों का सम्मान करने की संगठन की मांग पर जो सकारात्मक निर्णय सरकार ने लिया है, उसके लिए संगठन उच्च शिक्षा मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। संगठन का मानना है कि आगे इस तरह के कार्यक्रमों को और व्यवस्थित, पारदर्शी, व्यापक एवं पूर्व नियोजित ढंग से संपन्न किया जाना चाहिए। राज्य की उच्च शिक्षा में इस तरह के एक सकारात्मक कदम की शुरुआत हुई है जिसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने भी सराहते हुए केंद्र स्तर पर लागू करने की मंशा व्यक्त की है। हम शिक्षक और शासन दोनों अपने-अपने अपेक्षित दायित्वों को और गंभीरता से पूरा करेंगे तो निश्चय ही हम मिलकर राज्य के उच्च शिक्षा को एक बेहतर स्वरूप दे पाएँगे।

11. **उच्च शिक्षा मंत्री व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक** - शासन सचिवालय में 20 अगस्त 2018 को संगठन के प्रतिनिधिमंडल की उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (उच्च शिक्षा) श्री सुबोध अग्रवाल, आयुक्त कॉलेज शिक्षा श्री आशुतोष पेडणेकर, संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा), अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा) तथा विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ विभिन्न शिक्षक समस्याओं को लेकर लंबी बैठक हुई । प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्रीजी को अभी तक सरकार द्वारा उच्च शिक्षा एवं शिक्षकों के हित में किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद देते हुए शेष रही लंबित माँगों के समाधान की माँग की। संगठन ने 1 जनवरी 2016 से नवीन यू.जी.सी. वेतनमान देने के आदेश शीघ्र जारी करने की माँग की। महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति की मांग पर संगठन को बताया गया कि इस संबंध में विस्तृत नियम बनाने का काम चल रहा है, इसके पश्चात् अपेक्षित संख्या में महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद हेतु नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। महाविद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त पदों को लेकर संगठन ने मंत्री जी एवं अधिकारियों को जमीनी परेशानियों से अवगत कराया। मंत्री जी ने संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा) को लोकसेवा आयोग से नवीन नियमों संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। संगठन द्वारा कार्यव्यवस्थार्थ लगाए गए शिक्षकों को विराम भत्ता नहीं दिए जाने का विरोध करते हुए विस्तृत तथ्य बैठक में रखे गए। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (उच्च शिक्षा) ने शीघ्र ही समुचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। संगठन ने आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों के बकाया सी.ए.एस. मामलों को लगातार

आयुक्तालय में लंबित रखने को लेकर रोष जताया। संगठन ने विस्तृत तथ्य रखते हुए मंत्रीजी को बताया कि सीएएस का विषय बाकी विषयों से, जो न्यायालय में लंबित हैं, अलग है इसके बाद भी इसे बिना कारण रोका हुआ है। मंत्री जी ने आयुक्त महोदय को इस विषय में सकारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिसे आयुक्त महोदय ने स्वीकार किया। संगठन द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति ई-मेल से भेजने का विरोध किया गया। मंत्री जी को बताया गया कि संगठन नियमित अध्यापन एवं नियमानुसार महाविद्यालय में रुकने का पक्षधर है किंतु सुधार की दृष्टि समग्र होनी चाहिए। उच्च शिक्षा में कमियों के लिए केवल शिक्षक को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उचित ढांचागत व्यवस्थाओं तथा छात्रों की उपस्थिति पूर्ण नहीं होने पर शासन के कॉलेज प्रशासन के साथ सहयोग इसके बिना किसी भी तरह के यांत्रिक प्रयोगों से अपेक्षित सुधार नहीं आ सकता है। संगठन ने पे माइनस पेंशन के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में नहीं आने का विषय उठाते हुए सेवानिवृत्त आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों की नियुक्ति की भी मांग की। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों के परिणाम मँगाकर बिना पुलिस वेरिफिकेशन शपथ पत्र के आधार पर उनको शीघ्र नियुक्ति देने तथा शेष विषयों के साक्षात्कार शीघ्र संपन्न करवाने का विषय संगठन द्वारा प्रमुखता से उठाया गया। मंत्री जी ने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से लोक सेवा आयोग में मिलकर इस विषय को त्वरित रूप से संपन्न करने के निर्देश दिए तथा संगठन को विश्वास दिलाया कि लोक सेवा आयोग से सूची मँगवाकर शपथ-पत्र के आधार पर शीघ्र ही नवीन नियुक्तियाँ कर दी जाएँगी । संगठन ने स्थानांतरित शिक्षकों के शून्य पोस्टिंग के कारण कार्यमुक्त नहीं होने का विषय भी उठाया। जिस पर मंत्री जी ने अधिकारियों को इस हेतु शीघ्र ही समुचित मार्ग निकालने के निर्देश दिए। 30 जून 2018 तक सीनियर, सलेक्शन व पे बैंड 4 हेतु पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्र मँगाने की माँग भी संगठन द्वारा प्रमुखता से की गई। इस बारे में मंत्री जी के निर्देश पर आयुक्त महोदय ने शीघ्र आदेश जारी करने की सहमति व्यक्त की।

संगठन ने मंत्रीजी को ध्यान दिलाया कि आयुक्तालय एवं अन्य विभागों में नियुक्त/प्रतिनियुक्त शिक्षक या टी.आर.एफ./पी.डी.एफ. की अवधि के दौरान सी.ए.एस. लाभ हेतु पात्र शिक्षक ए.पी.आई. के कैटेगरी I (शैक्षणिक) व कैटेगरी II (सहशैक्षणिक) गतिविधियों के अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अत: आनुपातिक आधार पर उन्हें छूट दी जानी चाहिए। संगठन के तर्कों से अधिकारीगण और मंत्री जी सहमत हुए तथा इस विषय में नोट बनाकर कार्मिक विभाग को भेजने की सहमति दर्शाई। सी.ए.एस. हेतु जून 2013 के पश्चात् पे बैंड 4 तथा जून 2015 के बाद वरिष्ठ/चयनित वेतनमान हेतु पात्र शिक्षकों को शीघ्र लाभ देने के संबंध में संगठन को बताया गया अधिकांश आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं, शीघ्र ही पात्र शिक्षकों को अपेक्षित लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा आयुक्तालय द्वारा आर.वी.आर.इ.एस शिक्षकों के पदनाम में अभी भी व्याख्याता दर्शाने, शारीरिक शिक्षकों का पदनाम डीपीई करने, पीएच.डी. कोर्स वर्क हेतु 6 माह के अवकाश की व्यवस्था करने, पीएच.डी. के दोहरे लाभ प्रकरण का सकारात्मक समाधान करने, 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, जनवरी 2006 से जून 2006 के मध्य वेतन वृद्धि वाले शिक्षकों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने, पूर्व सेवा का लाभ सभी पात्र शिक्षकों को एक समान रूप से देने, बी.एड. शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान देने, एम.फिल./पीएच.डी. के इंक्रीमेंट पुन: प्रारंभ करने, नवीन महाविद्यालयों में समुचित सुविधाएँ विकसित करने तथा बढ़ी हुई छात्र संख्या के आधार पर महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति करने, प्रोबेशन पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित सेवा के समस्त लाभ प्रदान करने, संविदा शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन देने सहित अन्य लंबित समस्याओं पर भी शिक्षकों का पक्ष तथ्यों व तर्कों के साथ संगठन द्वारा मंत्री जी एवं अधिकारियों के समक्ष रखा गया। मंत्री जी ने इन विषयों को ध्यान से सुनते हुए अधिकारियों को समुचित कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए। संगठन के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह, संगठन मंत्री डॉ. ग्यारसी लाल जाट व महामंत्री शामिल रहे।

12. **पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों की भर्ती हेतु नियम स्वीकृत** - रुक्टा(राष्ट्रीय) शिक्षकों की समस्याओं के साथ-साथ राज्य की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए भी निरंतर संघर्षरत रहा है। राज्य की उच्च शिक्षा ठीक प्रकार से चले इस हेतु एक अत्यंत आवश्यक घटक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता भी है। दुर्भाग्य से राजनीति के लिए यह प्राथमिकता का विषय नहीं रहा है और इसलिए शिक्षकों की सेवा शर्तों से भिन्न इस विषय पर भी संगठन प्रमुखता से संघर्ष करता आया है। संगठन के प्रयासों से लोक सेवा आयोग द्वारा बारह सौ से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ होकर लगभग 850 शिक्षकों के पदस्थापन हुए हैं। इसी प्रकार महाविद्यालय शिक्षा को लगभग 135 प्रयोगशाला सहायक एवं लिपिक उपलब्ध हुए हैं हालांकि यह संख्या भी अपर्याप्त है किंतु संगठन निरंतर दबाव बनाए हुए है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में एक और समस्या है कि अधिकांश महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक नहीं हैं। पिछले वर्षों में संगठन ने इस विषय को लेकर निरंतर सरकार पर दबाव बनाया। पिछले दो वर्षों से पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों के भर्ती नियमों में संशोधन की आड़ में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। संगठन ने इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री एवं अधिकारियों को बार-बार मिलकर समुचित तथ्य उपलब्ध कराए थे तथा शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई संपन्न करने की माँग की थी। संगठन के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप पुस्तकालयाध्यक्षों के 183 पद तथा शारीरिक शिक्षकों के 195 पदों पर भर्ती के लिए नियमों को अंतिम रूप से स्वीकृत कर दिया गया है । अब वित्त विभाग की औपचारिक स्वीकृति के पश्चात् लोक सेवा आयोग को भर्ती हेतु अभ्यर्थना भेजी जाएगी। हालाँकि लोक सेवा आयोग द्वारा

संपूर्ण चयन/भर्ती प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है किंतु अंतत: शासन से निरंतर संघर्ष करने का परिणाम सामने है। उल्लेखनीय है कि लोक सेवा आयोग से पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों की अंतिम भर्ती 1992 में हुई थी।

13. **विश्वविद्यालय शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ पात्रता तिथि से देने की माँग** – संगठन ने राज्य शासन एवं समस्त कुलपतिगण को पत्र लिखकर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ उनकी पात्रता तिथि से ही दिए जाने की माँग की है। संगठन ने अवगत कराया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ उनकी पात्रता तिथि से ही देने का प्रावधान है। शिक्षकों को उनके न्यायोचित वित्तीय अधिकार समय पर प्राप्त हो इसलिए यू.जी.सी. ने सी.ए.एस. लाभ हेतु वर्ष में दो बार स्क्रीनिंग करवाने का प्रावधान रखा है, किन्तु राज्य के विश्वविद्यालयों में सी.ए.एस. के लाभ हेतु प्राय: स्क्रीनिंग एवं उसका प्रबन्ध मंडल द्वारा अनुमोदन समय पर नहीं हो पाता है। राज्य के कुछ विश्वविद्यालयों में सी.ए.एस. का लाभ पात्रता तिथि से नोशनल देते हुए वास्तविक लाभ प्रबन्ध मंडल द्वारा अनुमोदन तिथि से दिया जाता है; वहीं कतिपय विश्वविद्यालयों में सी.ए.एस. का लाभ पात्रता तिथि के स्थान पर प्रबन्ध मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि से ही दिया जाता है जिस कारण शिक्षकों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। संगठन ने यह आपत्ति दर्ज करवाई है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्पष्ट निर्देश होने एवं राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में उसी अनुरूप सी.ए.एस. का लाभ पात्रता तिथि से दिए जाने के बावजूद कतिपय विश्वविद्यालयों में सी.ए.एस. का लाभ प्रबन्धमंडल के अनुमोदन तिथि से दिया जाना या नोशनल दिया जाना न्याय संगत नहीं है। संगठन द्वारा शासन एवं कुलपतिगण से शिक्षकों को न्यायोचित अधिकार देने हेतु शीघ्र निर्णय लेने की अपेक्षा की है।

14. **कार्यव्यवस्थार्थ लगाए गए शिक्षकों को विराम भत्ता दिलवाने हेतु प्रयास** – 20 अगस्त 2018 को सचिवालय में माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी की अध्यक्षता में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा), आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ संगठन की बैठक में विभिन्न शिक्षक समस्याओं के समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई थी। बैठक में यह सहमति बनी थी कि जिन शिक्षकों को एक माह की अवधि तक अन्यत्र कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया है उन्हें यात्रा भत्ते के साथ नियमानुसार विराम भत्ता भी दिया जाए। इस बारे में संगठन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) को पत्र लिखकर पुन: आग्रह किया गया है कि बैठक में बनी सहमति के अनुरूप 30 दिवस तक कार्यव्यवस्थार्थ लगाए गए शिक्षकों को विराम भत्ता प्रदान करने हेतु आवश्यक आदेश शीघ्र जारी किए जाए।

15. **पूर्व में स्थानांतरित शिक्षकों को कार्य मुक्त करवाने हेतु प्रयास** – जुलाई माह में कई शिक्षक बंधु बहिनों के इच्छित स्थान स्थानांतरण आदेश तो जारी हुए किन्तु शून्य पोस्टिंग की शर्त के कारण वे कार्यमुक्त नहीं हो पाए। संगठन के संज्ञान में आने पर उच्च शिक्षा मंत्री जी से मिलकर इसका समाधान निकालने हेतु संगठन ने दबाव बनाया। संगठन के प्रयासों से पे माईनस पेंशन आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के अस्थाई नियुक्ति के आदेश निकले तथा लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आदि के फलस्वरूप कई स्थानांतरित शिक्षक अपने इच्छित स्थान हेतु कार्यमुक्त हो सके। इसके बाद भी कुछ स्थानों पर नवीन नियुक्ति नहीं होने या माइनस पेंशन के आधार पर किसी शिक्षक द्वारा आवेदन नहीं करने के कारण कुछ शिक्षक इच्छित स्थान के लिए कार्यमुक्त नहीं हो पाए। संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मिलकर संबंधित शिक्षकों को राहत दिलाने की माँग की। संगठन के निरन्तर प्रयत्नों के चलते, आयुक्तालय द्वारा पूर्व स्थानान्तरित आदेशों में उल्लेखित शून्य पोस्टिंग की शर्त को हटाकर संशोधित आदेश जारी कर दिए।

16. **प्रोफेसर पद पर पदोन्नति प्रक्रिया हेतु प्रयास** – संगठन प्रोफेसर पद पर पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न करवाने हेतु प्रयासरत है। संगठन के प्रयासों से आयुक्तालय द्वारा 2002 तक नियुक्त शिक्षकों की विषयवार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन भी किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार ने 31-1-2018 को जारी अधिसूचना के द्वारा महाविद्यालयों में कुल 477 प्रोफेसर पदों का सर्जन किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना में प्रोफेसर पद के लिए आवश्यक योग्यताएँ एवं पदोन्नति प्रक्रिया उल्लेखित है। संगठन ने शासन से महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद पर पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न करने की माँग की है ताकि शिक्षकों को उनका न्यायोचित अधिकार मिल सके।

17. **30 जून 2018 तक सी.ए.एस. हेतु पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्र भरवाने की माँग** – 20 अगस्त 2018 को माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी की अध्यक्षता में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा), आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के अन्य अधिकारियों के साथ संगठन की बैठक में 30 जून 2018 तक सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित वेतनमान एवं पे बैंड-4 के पात्र शिक्षकों से आवेदन पत्र भरवाने के संदर्भ में संगठन द्वारा विस्तृत तथ्य प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अकादमिक सत्र 30 जून 2018 को समाप्त हो चुका है एवं अधिकांश महाविद्यालयों में सत्र 2017-18 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भी भरे जा चुके हैं। ऐसे में 30 जून 2018 तक वरिष्ठ/चयनित वेतनमान एवं पे बैंड 4 के पात्र शिक्षकों से भी सी.ए.एस. लाभ हेतु आवेदन भरवाये जाना न्यायसंगत होगा। संगठन ने शिक्षकों का पक्ष रखते हुए बताया कि 2 फरवरी 2018 तक सी.ए.एस. लाभ हेतु पात्र शिक्षकों को पूर्व प्रचलित नियम दिनांक 8-5-2013 के अनुसार सी.ए.एस. का लाभ देना है। साथ ही 2 फरवरी 2018 के बाद नए नियम तथा यू.जी.सी. के नए रेगुलेशन भी प्रकाशित किए जा चुके हैं जिससे 30 जून 2018 तक पात्र शिक्षकों को सी.ए.एस. देने के सभी नियम स्पष्ट हैं। संगठन के तर्कों से

सहमत होते हुए बैठक में अधिकारियों ने 30 जून 2018 तक सी.ए.एस. हेतु पात्र शिक्षकों से आवेदन भरवाने हेतु मंतव्य दर्शाया था। संगठन ने शासन को पुन: पत्र लिखकर अवगत करया है कि अभी तक उक्त प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो पाई है। संगठन ने माँग की है कि 30 जून 2018 तक सी.ए.एस. हेतु पात्र शिक्षकों से आवेदन पत्र भरवाने की प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ की जाए।

18. **कार्यव्यवस्थार्थ लगाए गए शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाने हेतु प्रयत्न** – राज्य के छोटे एवं दूरस्थ महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी होने के कारण आयुक्तालय द्वारा अन्य महाविद्यालयों से 30 कार्य दिवस हेतु शिक्षकों को कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया था। गत 6 अक्टूबर को आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कुछ स्थानों पर कार्य व्यवस्थार्थ लगाए गए शिक्षकों की कार्यअवधि पूर्ण होने अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नए शिक्षक के कार्यग्रहण करने के बाद भी शिक्षकों को मूल महाविद्यालय के लिए रिलीव नहीं किया गया। संगठन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा को पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग एवं मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश का हवाला दिया कि 5 अक्टूबर तक जारी नियुक्ति आदेश/स्थानान्तरण आदेश आदि का क्रियान्वयन आचार संहिता में किया जा सकता है। महाविद्यालयों में शिक्षकों के कार्यव्यवस्थार्थ आदेश भी उक्त तिथि से पूर्व के होने के कारण कार्यव्यवस्थार्थ अवधि समाप्ति पर उन्हें मूल महाविद्यालय हेतु कार्यमुक्त करने हेतु निर्देश जारी करने की माँग संगठन द्वारा की गई। संगठन के प्रयासों से शिक्षकों को अपेक्षित राहत प्रदान की गई।

19. **प्राचार्य पद की चयन प्रक्रिया सम्पन्न करने की माँग** – उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं समुचित प्रशासनिक व्यवस्था हेतु प्राचार्यों की नियुक्ति में अपेक्षित शीघ्रता दिखाने की माँग संगठन द्वारा शासन से की गई है। संगठन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) को ध्यान दिलाया है कि कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार ने अधिसूचना क्रमांक F.1(6)DOP/A-II/84 दिनांक 31-1-2018 के द्वारा राज्य में महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन के साथ प्राचार्य पद पर विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया में परिवर्तन कर इस पद को चयन के आधार पर कर दिया है। पूर्व प्रचलित नियमों से सत्र 2016-17 की डी.पी.सी. के अनुरूप अगस्त 2016 में मुख्य सूची के एवं मार्च 2017 में पूरक सूची के अनुसार अन्तिम बार प्राचार्य पद पर पदोन्नति दी गई थी। गत डेढ़ वर्ष में कई प्राचार्यों की सेवानिवृत्ति एवं नये महाविद्यालय की स्थापना के कारण अनेक महाविद्यालयों में प्राचार्य पद रिक्त है। महाविद्यालयों में प्राचार्यों के न होने से सामान्य प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्य बाधित हो रहे हैं। प्राचार्य पद पर शीघ्र चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करवाने हेतु संगठन दबाव बनाए हुए है।

20. **संस्कृत महाविद्यालय शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान देने की माँग** – संगठन द्वारा राज्य के संस्कृत महाविद्यालय शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान देने के आदेश प्रसारित करने की माँग की गई है। संगठन ने शासन को पत्र लिखकर ध्यान दिलाया है कि पूर्व वेतनमानों के समय भी उच्च शिक्षा के शिक्षकों के समान ही संस्कृत महाविद्यालय शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाता रहा है। राज्य के संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी नवीन यू.जी.सी. वेतनमान का लाभ दिलवाने के लिए संगठन प्रयासरत है।

21. **सेवानिवृत शिक्षकों हेतु नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के अनुसार पेंशन आदेश जारी करने की माँग** – संगठन ने राज्य शासन से सेवानिवृत्त महाविद्यालय शिक्षकों को नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के अनुरूप पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ देने की माँग की है। संगठन द्वारा शासन के ध्यान में लाया गया है कि सातवें वेतनमान से पूर्व सभी वेतनमानों में महाविद्यालय शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के साथ पूर्व में सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी यू.जी.सी. वेतनमान का लाभ दिया जाता रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पत्र क्रमांक 1-1/2017-U.II दिनांक 11 जून 2018 के द्वारा उच्च शिक्षा के सेवानिवृत्त शिक्षकों को सातवें वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित पेंशन के विस्तृत नियम प्रकाशित किये गये थे। उक्त आदेश राज्यों के प्रमुख शासन सचिवों को भी पृष्ठांकित किये गये थे। राज्य के महाविद्यालय शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान करने के आदेश प्रसारित हो चुके हैं किन्तु महाविद्यालय शिक्षा से 1-1-2016 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान करने के आदेश प्रसारित नहीं हुए हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों को यू.जी.सी. सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ देने के शीघ्र आदेश जारी करवाने हेतु संगठन प्रयासरत है।

22. **संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) की समस्याओं के समाधान की माँग** – संगठन ने राज्य शासन से संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की लंबित समस्याओं के शीघ्र समुचित समाधान की माँग की है। संगठन ने विस्तृत तथ्यों के साथ शासन को अवगत करवाया है कि संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) उच्च शिक्षा का ही एक हिस्सा है, जिसमें महाविद्यालय शिक्षा के समान ही सेवा नियम एवं परिलाभ का प्रावधान है; किन्तु राज्य में संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) में कार्यरत शिक्षकों को सम्पूर्ण लाभ प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) में कार्यरत शिक्षकों के सी.ए.एस. लाभ भी काफी समय से लम्बित है। शिक्षक को समय पर सी.ए.एस. का लाभ प्राप्त होना उसका अधिकार है। इसी प्रकार राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1977 एवं 1978 का निरसन 2015 में ही किया जा चुका है किन्तु आज दिनांक तक नए सेवा नियम जारी नहीं किए गए हैं जिससे न केवल वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तों में अस्पष्टता हो गई है वरन् नई भर्ती भी नहीं हो पा रही है। संगठन ने यह विषय भी उठाया है कि राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम 1978 में विद्यालय व्याख्याताओं को महाविद्यालय व्याख्याता पद पर लगाए जाने का प्रावधान था। 1 जनवरी 2006 से संस्कृत महाविद्यालय शिक्षकों को यू.जी.सी.

वेतनमान दिए जाने के पश्चात् उक्त प्रक्रिया बंद कर दी गई थी; किन्तु 15 विद्यालय व्याख्याता सन् 2002-2003 से महाविद्यालय शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उक्त व्याख्याता लगभग 16 वर्षों से महाविद्यालयों शिक्षकों के पद पर कार्यरत हैं, अत: महाविद्यालय शिक्षक हेतु 1 जनवरी 2006 को आधार तिथि मानकर इनकी स्क्रीनिंग किया जाना न्याय संगत होगा। संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) के शिक्षकों की उपर्युक्त समस्याओं को व्यापक शिक्षकहित में निस्तारित करने के लिए संगठन ने शासन को अपेक्षित तीव्रता दिखाने की माँग की है।

सांगठनिक एवं वैचारिक गतिविधियाँ

1. **गुरुवंदन कार्यक्रम सम्पन्न** - प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ(राष्ट्रीय) की प्रदेशभर की इकाइयों के द्वारा गुरुपूर्णिमा के पुनीत अवसर पर गुरुवंदन कार्यक्रम सम्पन्न किए गए। गुरुवंदन के गरिमापूर्ण कार्यक्रमों में महाविद्यालय शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु समाज के पुरोधा चिंतकों, पूज्य संतों और विद्वान् शिक्षकों द्वारा गुरु की महिमा को स्थापित करने के हेतु पाथेय आयोजित किए गए।

राजकीय महाविद्यालय, **बून्दी** में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्षता प्राचार्य डॉ ओ.पी.माहेश्वरी ने की तथा विशिष्ट अतिथि उपाचार्य डॉ जे.के.जैन थे। मुख्य वक्ता डॉ गीताराम शर्मा ने गुरु तत्त्व, उज्ज्वल गुरु परम्परा तथा गुरुत्व की गरिमा की शाश्वत अपेक्षा तथा अपने पूर्वज महान् गुरुओं की प्रेरणा की शिक्षा, शिक्षक और समाज के सर्जन के सम्पोषण की दृष्टि से प्रासंगिकता का निरूपण किया। डॉ.पी.सी.उपाध्याय ने विषय प्रवर्तन एवं गुरुवन्दना का आध्यात्मिक स्वरूप प्रस्तुत किया। डॉ कौशल किशोर गोठवाल ने संगीतमय गुरुवन्दना की। विभाग सचिव डॉ राहुल सक्सेना ने सांगठनिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए गुरुवन्दन जैसे कार्यक्रमों की प्रासंगिकता का विषय प्रतिपादित किया। संचालन इकाई सचिव प्रो. ए.एम. अंसारी ने किया। इसी प्रकार राजकीय महाविद्यालय, **गंगापुरसिटी** में गुरुवंदन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर प्रान्त प्रचारक डा. शैलेन्द्र जी का पाथेय हुआ। डॉ. शैलेंद्रजी ने गुरु को प्रथम पूज्य बताते हुए हमें अपने भीतर विराजमान गुरुतत्व को पहचाने का उदबोधन दिया। एक शिक्षक-एक वृक्ष कार्यक्रम का भी महाविद्यालय परिसर में पौधरोपण के साथ शुभारम्भ किया।

राजकीय महाविद्यालय एवं राज. कला महाविद्यालय, **कोटा** की इकाइयों के संयुक्त तत्त्वावधान में सम्पन्न गुरुवन्दन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता वेद, विज्ञान एवं ज्योतिष के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् भारत संस्कृत परिषद के महामंत्री डॉ लखन शर्मा थे। मुख्य अतिथि राजकीय कला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जी. एल. मालव, विशिष्ट अतिथि सहायक निदेशक डॉ. दिनेश तिवारी एवं कोटा विश्वविद्यालय के हैरिटेज विभाग के अध्यक्ष एवं शिक्षाविद् डॉ एम.एल .साहू थे। अध्यक्षता राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एम.आर. कुरैशी ने की। अतिथियों द्वारा सामूहिक सरस्वती पूजन एवं महर्षि वेदव्यास पूजन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। डॉ. राजेन्द्र माहेश्वरी ने सरस्वती वन्दना प्रस्तुत की। डॉ. समय सिंह मीना ने हम करें राष्ट्र आराधन सहगीत कराया। तत्पश्चात् डॉ. पंचोली ने गुरुवन्दन कार्यक्रम के व्यापक हेतू को स्पष्ट करते हुए संगठन के सामाजिक, शैक्षिक तथा अकादमिक सरोकारों की चर्चा की। विशिष्ट अतिथि डॉ. मालव ने अर्जुन तथा द्रोणाचार्य की कथा का स्मरण कराते हुए कहा कि यह गुरुत्व की गरिमा ही थी कि शिष्य की प्रतिभा की पहचान गुरु के माध्यम से होती थी, अब यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें कारणों का चिन्तन कर अपनी भूमिका को ठीक से समझना होगा। मुख्यवक्ता डॉ. लखन शर्मा ने गुरुतत्त्व की शास्त्रीय व्याख्या करते हुए उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले परम चैतन्य का पर्याय बताया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक राष्ट्रगान से हुआ। डॉ रामावतार मेघवाल ने संचालन किया एवं डॉ आर.पी सोमानी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में लगभग 100 प्राध्यापकों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

राजर्षि महाविद्यालय, **अलवर** में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम में ब्रह्मकुमारी कु. ममता दीदी ने प्रबोधन दिया। विषय प्रवर्तन डा.गंगाश्याम गुर्जर ने, संचालन डा.राजेश गुप्ता एवं धन्यवाद ज्ञापन डा. नीरज सैनी ने किया। श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय, **बाँसवाड़ा** में गुरु वन्दन कार्यक्रम मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. कैलाश सोडानी और मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक हेमेन्द्र जी के सान्निध्य और प्राचार्य डॉ. डी के जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। विषय प्रतिपादन करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. राजेश जोशी ने भारतीय गुरु-शिष्य परपंरा पर प्रकाश डाला। कुलपति प्रो. सोडानी ने विद्यार्थियों को जीवन में नम्रभाव से सतत शिक्षक सान्निध्य में रहकर अध्ययन करने का आह्वान किया। मुख्यवक्ता हेमेन्द्र जी ने विदेशी आक्रांताओं द्वारा सुनियोजित तरीके से प्राचीन भारतीय गुरु शिष्य परम्परा पर किए गए हमलों का जिक्र करते हुए भारत को पुन: विश्वगुरु बनाने में गुरु शिष्य परम्परा की आवश्यकता पर बल दिया। संचालन प्रो. कमलकांत कटारा ने और आभार इकाई सचिव डॉ. प्रमोद वैष्णव ने व्यक्त किया। कार्यक्रम के पश्चात् एक शिक्षक एक वृक्ष योजनान्तर्गत महाविद्यालय परिसर में बरगद, पीपल, महुआ, नीम, आम, जामुन आदि विविध प्रजाति के पौधों का ट्रीगार्ड लगाकर रोपण किया गया। राजकीय महाविद्यालय, **चिमनपुरा** एवं राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा में आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम में शैक्षिक महासंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद जी अग्रवाल का पाथेय मिला। साथ ही एक शिक्षक-एक वृक्ष कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया गया। गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, **अलवर** में गुरु वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग से पधारीं गीता दीदी एवं डॉ उत्तरा दीदी का पाथेय प्राप्त हुआ। दयानंद महाविद्यालय, **अजमेर** में आयोजित गुरुवन्दन कार्यक्रम में रा. स्व. संघ के पूर्व क्षेत्र संघचालक प्रो. पुरुषोत्तम जी

परांजपे का पाथेय प्राप्त हुआ। प्रो. परांजपे ने गुरु को समस्त अज्ञानरूपी अंधकार को दूर करने वाला बताते हुए भव से पार लगाने वाला कहा। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक शिक्षक-एक वृक्ष कार्यक्रम भी महाविद्यालय मे आयोजित किया गया। राजकीय बी.आर. गोदारा महाविद्यालय, **श्रीगंगानगर** में आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम की मुख्यवक्ता जैन साध्वी पूर्णप्रज्ञा जी ने भारतीय गुरुशिष्य परम्परा पर प्रकाश डाला और कहा कि गुरु पर पूर्ण श्रद्धा हो तो मिट्टी के बनाए गुरु से भी एकलव्य जैसा अजेय धनुर्धर तैयार हो सकता है। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघचालक श्री अमरचंद बोरड़ ने भी गुरुतत्त्व का विशद विवेचन किया। संगठन के विभाग अध्यक्ष डॉ. रामसिंह राजावत ने भी कार्यक्रम में संबोधित किया। अध्यक्षता प्राचार्य डॉ प्रदीप कुमार मोदी ने की। विषय प्रवर्तन विभाग सहसचिव डॉ. श्यामलाल ने तथा संचालन डॉ. बबीता काजल ने किया।

राजकीय महाविद्यालय, **सरवाड़** व **केकड़ी** में केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ मनोज बहरवाल का उदबोधन हुआ। सरवाड़ में कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. आर. के. जैन ने की तथा संचालन डॉ मुक्ता द्विवेदी ने किया। केकड़ी में अध्यक्षता डॉ राजकुमारी राणावत ने की तथा संचालन इकाई सचिव श्री पवन चंचल ने किया। कार्यक्रम के पश्चात वृक्षारोपण भी किया गया। राजकीय महाविद्यालय, **ओसियाँ** में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यवक्ता संभाग संगठन मंत्री डॉ हरिसिंह राजपुरोहित रहे, अध्यक्षता कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. उम्मेदसिंह इंदा ने की। डॉ. गोविंद पुरोहित एवं प्रो. मोहम्मद शाहिद ने भी संबोधित किया। राज.महिला महाविद्यालय, **बाड़मेर** में गुरु वंदन कार्यक्रम के अन्तर्गत कबीरपंथी मालवा मध्यप्रदेश के लोकप्रिय गायक कालूराम बामनिया के गायन से कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। इस अवसर पर लॉयन्स क्लब बाड़मेर की ओर से राजकीय महिला महाविद्यालय एवं पी. जी.महाविद्यालय बाड़मेर के शिक्षकों का सम्मान किया गया। प्राचार्य डॉ ललिता मेहता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि गुरु के ज्ञान, सार्मथ्य और कर्म के साथ एकात्म होकर भगवान् परमगुरु परमात्मा में अखण्ड निष्ठा रखना ही दिव्य जीवन का राज है। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षकों व छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, **ब्यावर** की स्थानीय इकाई के तत्त्वावधान में आयोजित गुरुवन्दन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता विभाग सचिव डॉ.अनिल गुप्ता ने गुरु पूर्णिमा के सांस्कृतिक महत्त्व को रेखांकित करते हुए भारत की महान गुरु शिष्य परम्परा के उदाहरणों से विद्यार्थियों एवम् उपस्थित आचार्यगण को लाभान्वित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य एवम् अजमेर विभाग अध्यक्ष प्रो. पुखराज देपाल ने विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती आदि के जीवन्त उदाहरण देते हुए भारतीय संस्कृति व ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला। विभाग सह-सचिव प्रो. एम.आर.देवडा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. धीरज पारीक ने किया। डॉ भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, **श्रीगंगानगर** में आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीगंगानगर विभाग प्रचारक श्री राजेश रहे। उन्होंने गुरु को अंधकार से प्रकाश की और प्रवृत्त करने वाला बताते हुए आचरण की शुचिता पर बल देने का पाथेय दिया। राजकीय महाविद्यालय, **चौमूं** में आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम में मुख्यवक्ता के रूप में बोलते हुए डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने उपस्थित शिक्षकों व विद्यार्थियों से ज्ञानार्जन की सतत जिज्ञासा बनाए रखने की प्रवृत्ति विकसित करने का उद्बोधन दिया। उन्होंने शिक्षकों को विद्यार्थियों के हित में रत रहते हुए स्वयं भी सदैव स्वाध्याय करते रहने का पाथेय दिया। शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, **सवाईमाधोपुर** में गुरुवंदन कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. एस. एन. गर्ग थे। इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में परिसर में विविध प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। पी.जी.कॉलेज, **किशनगढ़बास** एवं दिगम्बर जैन महिला महाविद्यालय, **तिजारा** में भी गुरुवंदन एवं पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश संयुक्त मंत्री डॉ.गंगाश्याम गुर्जर एवं अध्यक्षता अलवर विभाग अध्यक्ष डॉ. कर्मवीर सिंह ने की।

भीलवाड़ा स्थित राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थानीय इकाईयों के संयुक्त तत्वावधान में कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा में गुरुवन्दन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यवक्ता डॉ. श्याम सुन्दर भट्ट तथा विशिष्ट अतिथि डॉ. रोशन लाल पितलिया रहे। डॉ. भट्ट ने महर्षि वेदव्यास तथा डॉ. अब्दुल कलाम के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। डॉ. पितलिया ने वर्तमान शिक्षण व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. राकेश शर्मा ने की। डॉ काश्मीर भट्ट ने अतिथि परिचय देते हुए विषय प्रवर्तन किया। संचालन डॉ. आशा उपाध्याय ने किया। डॉ. कैलाश गुप्ता एवं डॉ. के.सी. नागर ने आभार व्यक्त किया। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, **उदयपुर** की स्थानीय इकाई द्वारा आयोजित गुरु वंदन कार्यक्रम में मुख्यवक्ता बालाजी निरंजन अखाड़ा के अध्यक्ष महन्त सुरेश गिरी ने अपने उद्बोधन में कहा कि गुरु सदा शिष्यों की के भलाई और कल्याण के लिए काम करता है। गुरु जब अपने आदर्शों से समझौता करता है तो उसका ज्ञान निष्फल हो जाता है। गुरु को जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करते हुए शिष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। डॉ. शशि ने भी गुरु-शिष्य के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। उदयपुर विभाग अध्यक्ष डॉ. चन्द्रशेखर शर्मा, इकाई सचिव डॉ. कुसुम मित्तल, सहसचिव विनिता कोठारी सहित अनेक विद्यार्थी व संकाय सदस्य मौजूद थे। राजकीय महाविद्यालय, **रोहट** में आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम में विभाग सहसचिव एवं कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. ईश्वर चंद ने गुरु को मार्गदर्शक तथा उन्नति की ओर ले जाने वाला बताते हुए विद्यार्थियों से आह्वान किया कि उन्हें अपने गुरुजनों से सीखना चाहिए। डॉ. युधिष्ठिर भाटी ने विद्यार्थियों से एक लक्ष्य तय कर गुरु के मार्गदर्शन में उसे पूरा करने का संकल्प और उसकी सिद्धि हेतु प्रयत्नशील होने के लिए प्रेरित किया। डॉ. सरिता व्यास ने कार्यक्रम का संचालन किया। **डूंगरपुर** स्थित राजकीय महाविद्यालयों के संयुक्त गुरुवंदन कार्यक्रम में पूर्व प्राचार्य श्री धर्मेश शर्मा एवं श्री डी. एल. कोठारी जी का उदबोधन हुआ। श्री धर्मेश

शर्मा ने अपने उदबोधन में कहा कि गुरु वह ज्योति है, जो विद्यार्थी रूपी दीपक को रोशन करती है। श्री कोठारी ने महर्षि व्यास को आदिगुरु बताते हुए महाभारत में वर्णित अनेक प्रसंगों द्वारा गुरु महिमा का प्रतिपादन किया। राजकीय महाविद्यालय, **राजगढ़** (अलवर) में गुरुवन्दन एवं वृक्षरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभाग के सह सचिव श्री एस.डी. मीना ने गुरु के जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला। प्राचार्य श्री के. एम. मीना ने गुरु एवं शिष्य दोनों को अपने कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से निभाने का संदेश दिया ताकि राष्ट्र विकास के मार्ग पर अग्रसर होता रहे। विभाग सचिव डॉ. अजय वर्मा ने भी गुरु के महत्त्व पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता डॉ. ऋतु गुप्ता ने वेद व्यास की जीवनी बताते हुए वासुदेव श्रीकृष्ण व गुरु संदीपन के संबधों की व्याख्या करते हुए ऐसे शिष्यों की आवश्यकता पर बल दिया जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर राष्ट्र निर्माण एवं एकीकरण में योगदान दें। गुरुवंदन कार्यक्रम के पश्चात सभी पधारे हुए अथितियों ने पौधारोपण किया। मंच संचालन डॉ. देशराज वर्मा ने किया। देव इंटरनेशनल कॉलेज, **अलवर** में आयोजित गुरूवंदन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश संयुक्त मंत्री डॉ.गंगाश्याम गुर्जर रहे एवं अध्यक्षता अलवर विभाग के अध्यक्ष डॉ. कर्मवीर सिंह ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने गुरु एवम शिष्य के संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, **अलवर** में आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम में मुख्यवक्ता पूर्व प्राचार्य डॉ. घनश्याम लाल ने कहा कि गुरु को अपने आदर्श उदाहरण द्वारा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना चाहिए। विषय प्रवर्तन प्रदेश संयुक्त मंत्री डा. गंगा श्याम गुर्जर, अध्यक्षता प्राचार्य डा. सुनीता जैन, संचालन डॉ. शशिकांत गुप्ता ने किया। रेयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, **हनुमानगढ़** में गुरुवंदन कार्यक्रम में मुख्यवक्ता के रूप में राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर के पूर्व प्राचार्य एवं श्रीगंगानगर विभाग अध्यक्ष डॉ. राम सिंह राजावत ने विद्यार्थियों से भारतीय संस्कृति के अनुरूप आचरण करने का आह्वान करते हुए विद्यार्थियों से अनुशासित जीवन शैली अपनाने एवं शिष्य संबंधों की प्रगाढता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने शिक्षक बंधुओं से भी राष्ट्र के भावी कर्णधारों को सुशिक्षित बनाने के साथ-साथ सुनागरिक बनाने के लिए उन्हें उचित मार्गदर्शन करने का पाथेय दिया। विभाग सहसचिव डॉ. श्यामवीर सिंह ने विद्यार्थियों को गुरुवंदन कार्यक्रम की रूपरेखा एवं महत्त्व से अवगत करवाया। इस अवसर श्री रणवीर सिंह जादौन विशिष्ट अतिथि रहे। महाविद्यालय निदेशक करणवीर चौधरी, प्राचार्य डॉ. संतोष राजपुरोहित, उपप्राचार्य अनिल शर्मा ने अतिथियों को स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय परिसर में अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया। राजकीय महाविद्यालय, **बहरोड़** एवं श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय, बहरोड़ में आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम में मुख्यवक्ता प्रदेश संयुक्त मंत्री डॉ. गंगाश्याम गुर्जर एवं विशिष्ट अतिथि अलवर विभाग के अध्यक्ष डॉ. कर्मवीर सिंह रहे। संचालन इकाई सचिव डॉ. प्रेमपाल यादव ने किया। कार्यक्रम के पश्चात पौधारोपण किया तथा गत वर्ष लगाए गए पौधों का जन्मदिन भी मनाया गया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, **झालावाड़** में आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम में मुख्यवक्ता के रूप में बोलते हुए डॉ. विवेक कुमार ने कहा कि गुरु एक कुम्हार की तरह होता है जो अपने शिष्य को सही दिशा दिखाने का काम करता है। सभी शिक्षकों का मुख्य कर्तव्य शिक्षण ही है, जिसे पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करना चाहिए। विभाग सचिव डॉ. गजेंद्र कुमार मालवीय ने वर्तमान परिपेक्ष में गुरु शिष्य संबंध पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में डॉ प्रणव देव ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता प्राचार्य श्री बी सी मीणा ने की। **दौसा** स्थित तीनों राजकीय महाविद्यालयों के संयुक्त तत्त्वावधान में आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम में मुख्यवक्ता के रूप में बोलते हुए पूर्व विशेषाधिकारी (उच्च शिक्षा) डॉ. ओ.पी. गुप्ता ने भारतीय गुरु-शिष्य परम्परा का उल्लेख करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुरु की भूमिका पर प्रकाश डाला। चाणक्य, समर्थ रामदास, रामकृष्ण परमहंस, रैदास, तानसेन, स्वामी विरजानन्द आदि का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने समय काल परिस्थितियों के अनुसार अपने शिष्यों को राष्ट्र निर्माण में योगदान की प्रेरणा दी। इन गुरुओं की प्रेरणा से चन्द्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे शिष्यों ने भारत को राष्ट बनाने में महती भूमिका निभाई। विषय प्रवर्तन डॉ शंभूलाल मीना ने किया। कला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ गोविंद प्रसाद गुप्ता एवं विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अशोक सामरिया ने भी कार्यक्रम में संबोधित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के अंत में मुख्यवक्ता को तुलसी का पौधा भेंट किया गया। **सिरोही** स्थित तीनों राजकीय महाविद्यालयों में संयुक्त रूप से आयोजित गुरुवंदन कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जोधपुर प्रान्त संघचालक श्री ललित जी शर्मा ने मुख्यवक्ता के रूप में उद्बोधन देते हुए गुरु शिष्य परम्परा को भारत की प्राचीनतम अनुपम विरासत कहा। वर्तमान में गुरुवंदन जैसे कार्यक्रम की रचना करने हेतु उन्होंने रुक्टा (राष्ट्रीय) को साधुवाद देते हुए कि वर्तमान में भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास को गुरुओं की समृद्ध परंपरा से भी जाना जा सकता है। विषय प्रवर्तन डॉ के के शर्मा ने किया। महिला विभाग प्रतिनिधि डॉ कुसुम राठौड़ ने संगठन की गतिविधियों व कार्यविस्तार पर प्रकाश डाला। महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ रेखा राणावत ने भी सम्बोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ जी वी मिश्रा ने तथा संचालन डॉ रुचि पुरोहित ने किया। अंत में महाविद्यालय परिसर में मुख्यवक्ता एवं संकाय सदस्यों द्वारा पौधरोपण भी किया गया।

राजकीय कन्या महाविद्यालय, **बीकानेर** में संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह ने गुरु भाव प्राप्त करने के लिए उद्यम करने पर बल दिया। कार्यक्रम डॉ. बेला भनोत, डॉ. उमाकांत गुप्ता, डॉ. हेमेन्द्र अरोड़ा, डॉ. बबीता जैन एवं डॉ. रजनीरमण झा ने भी विचार व्यक्त किए। बांगड़ महाविद्यालय, **पाली** में मुख्यवक्ता प्रो. गोविन्द नारायण पुरोहित रहे, अध्यक्षता प्राचार्य प्रो. दिलीप नौलखा ने की। संचालन प्रो. दीप्ति चतुर्वेदी ने किया। राजकीय महाविद्यालय, **धौलपुर** में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यवक्ता प्रो. डी. के. बंसल ने

शिक्षकों से ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया। अध्यक्षता प्रो. बी. के. कुलश्रेष्ठ ने की। मंच संचालन डॉ. श्याम कुमार मीना एवं आभार डॉ. गिर्राज सिंह मीना ने व्यक्त किया। एम.एस. जे. महाविद्यालय, **भरतपुर** में आयोजित कार्यक्रम के मुख्यवक्ता डॉ. भास्कर शर्मा ने गुरु को जीवन में सफलता का मंत्र प्रदाता बताया। डॉ. अशोक शर्मा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। डॉ. योगेन्द्र भानु ने विषय-प्रवर्तन किया। संचालन डॉ. आलोक श्रीवास्तव एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. मनोज सिनसिनवार ने किया। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय की कुल 116 इकाइयों द्वारा गुरुवंदन कार्यक्रम संपन्न किए गए।

2. **विश्वविद्यालय शिक्षक सम्मेलन सम्पन्न** – राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के तत्त्वावधान में राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का एक दिवसीय सम्मेलन महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में दिनांक 9 सितम्बर 2018 को सम्पन्न हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षकों की समस्याओं के हल हेतु रुक्टा (राष्ट्रीय) का यह सम्मेलन निश्चित ही प्रशंसनीय प्रयास है। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों को विश्वास दिलाया कि विश्वविद्यालय शिक्षकों की जो मांगें व समस्याएँ उनके संज्ञान में लाई गई हैं, उनका प्राथमिकता से निराकरण करने हेतु हरसंभव प्रयास किए जायेंगे। उन्होंने उच्च शिक्षा के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ शीघ्र ही देने का मंतव्य प्रकट किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष श्री जेपी सिंघल ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन द्वारा शिक्षक हित में किये गए कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रो. सिंघल ने कहा कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो सुधार विगत वर्षों में हुए हैं, उनमें महासंघ की महती भूमिका रही है। उन्होंने नवीन यू.जी.सी. रेगुलेशन में महासंघ के प्रयासों से शिक्षक हित में किए गए प्रावधानों यथा सी.ए.एस. प्रक्रिया का सरलीकरण, कार्यभार के घंटों में से न्यूनतम शब्द हटाने, रिफ्रेशर व ओरिएंटेशन कोर्स की छूट में वृद्धि, उच्च शिक्षा संस्थानों में 7 घंटे के स्थान पर 5 घंटे ठहराव, एम.फिल. व पीएच.डी. की प्रोत्साहन वेतन वृद्धियों को यथावत् रखने, स्नातक व स्नातकोत्तर प्राचार्य को एक ही प्रोफेसर ग्रेड में रखने, महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद पर से सीमा हटाने तथा विश्वविद्यालयों में सीनियर प्रोफेसर पद की व्यवस्था आदि के बारे में विस्तार से सदन को अवगत कराया। इससे पूर्व संगठन महामंत्री ने विश्वविद्यालय शिक्षकों की समस्याओं को प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार एवं कुलपतिगण से शीघ्र समाधान की माँग की। महामंत्री ने रुक्टा (राष्ट्रीय) व सरकार के बीच उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की समस्याओं हेतु प्रशासन के अलग-अलग स्तरों पर विगत वर्षों में अनवरत किए गए संवादों व उनके सफल परिणामों को शिक्षकों के समक्ष रखा। साथ ही प्रदेश की उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग का शीघ्र लाभ प्रदान करने हेतु उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी से मांग की। सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष कुलपति प्रो. कैलाश सोडानी ने सम्मेलन में आए विश्वविद्यालय के शिक्षकों को एकजुट होकर शैक्षिक सेवाओं को बेहतर व विद्यार्थिहित में निरंतर कार्यशील एवं प्रवृत्त करने हेतु अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ व रुक्टा (राष्ट्रीय) को साधुवाद दिया तथा इस आयोजन के लिए बधाई दी। संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

मध्यकालीन सत्र में राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, जिसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति प्रोफेसर राकेश कोठारी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति प्रोफेसर जे. पी. शर्मा, कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर बी आर छीपा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर भगीरथ सिंह, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष श्री जे. पी. सिंघल, रुक्टा (राष्ट्रीय) के अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह एवं महामंत्री ने विश्वविद्यालय शिक्षकों की समस्याओं पर सीधा संवाद किया तथा समाधान के लिए संगठन द्वारा सतत व प्रभावी प्रयत्न किए जाने का विश्वास दिलाया। समारोप सत्र में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री श्री महेंद्र कपूर जी ने महासंघ के उद्देश्यों, स्वरूप एवं गतिविधियों का विवरण देते हुए कहा कि समस्त विश्वविद्यालय शिक्षकों को अपने शैक्षिक दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए शिक्षण क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। शैक्षिक महासंघ अधिकारों से पहले कर्तव्य-बोध की बात करता है तथा शिक्षक की गरिमा के उन्नयन के लिए अनवरत प्रयास करता है।

समारोप सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र के कार्यवाह श्री हनुमान सिंह राठौड़ ने समस्त शिक्षकों का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षक ही राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ चिंतक है और वह ही ऐसे चिंतकों को उत्पन्न कर सकता है। शिक्षकों को अधूरे ज्ञान व ज्ञान के दंभ से बचना चाहिए। व्यापक और दीर्घकालीन चिंतन, मनन व तदनुसार कार्यसाधना में जुटना चाहिए। कुछ विश्वविद्यालयों के छात्र जब राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, तो प्रश्नचिह्न उनके शिक्षकों पर ही लगता है, अत: आवश्यकता है राष्ट्रीय विचारों को सांस्कृतिक धरातल पर रखते हुए अध्ययन एवं शोध की। एक शिक्षक को द्रष्टा के समान भावी भारत व विश्व के निर्माण के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने वर्ग संघर्ष व पाश्चात्य जीवन शैली की विचारधाराओं को भारत के लिए खतरा बताते हुए समस्त वर्गों को जोड़ने का तथा एक राष्ट्र के रूप में भारत को संगठित व विकसित करने के लिए प्रयत्नशील रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अनिल दाधीच ने किया। सम्मेलन में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, महावीर वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदरसिंदरी, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के 142 शिक्षकों ने सक्रिय सहभाग किया। इस अवसर पर संगठन के विभाग एवं प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

3. **विस्तृत कार्यकारिणी बैठक सम्पन्न** – संगठन की विस्तृत कार्यकारिणी बैठक संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में 12 अगस्त 2018 को देराश्री शिक्षक सदन, जयपुर में सम्पन्न हुई। बैठक का प्रारम्भ सामूहिक सरस्वती वंदना से हुआ। महामंत्री द्वारा गत बैठक की कार्यवाही का विवरण सदन के समक्ष रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। महामंत्री ने गत बैठक के पश्चात् संगठन की वैचारिक, सांगठनिक एवं शिक्षक समस्याओं के संबंध में विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। इसके बाद गुरुवंदन कार्यक्रम एवं एक शिक्षक एक वृक्ष अभियान के विभागशः वृत्त निवेदन किए गए। सदन द्वारा गुरुवंदन कार्यक्रमों के आयोजन पर संतोष प्रकट करते हुए प्रत्येक इकाई तक जाने की आवश्यकता प्रकट गई तथा एक शिक्षक एक वृक्ष अभियान को निरन्तर जारी रखने का निर्णय लिया गया। अगले सत्र में सदस्यों द्वारा शिक्षक समस्याओं को उठाया गया। सदस्यों ने संगठन के शिक्षकहित में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए लंबित समस्याओं को सुलझाने हेतु निरन्तर प्रयत्नों की आवश्यकता व्यक्त की। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. जे. पी. सिंघल ने शैक्षिक महासंघ की गतिविधियों की जानकारी देते हुए यू.जी.सी. रेग्यूलेशन में शिक्षक हितकारी प्रावधान करवाने में महासंघ के घनीभूत प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने 6 अक्टूबर को इन्दौर में आयोज्यमान शिक्षा भूषण एवं राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान की विस्तृत जानकारी भी सदन को दी। बैठक में वार्षिक सदस्यता का हिसाब-किताब भी पूर्ण किया गया। कार्यकारिणी ने यह भी तय किया कि वार्षिक सदस्यता इस वर्ष नियुक्त शिक्षकों के लिए खुली रहेगी। इस वर्ष की अब तक वार्षिक सदस्यता 5550 रही। इसके बाद विभागशः कार्यक्रमों की रचना की गई। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए डॉ. दिग्विजय सिंह ने कहा कि संगठन की प्रतिष्ठा सभी कार्यकर्ताओं की निष्ठा व परिश्रम के कारण ही है। उन्होंने परिसर संस्कृति सुधार हेतु अपनी भूमिका निर्वाहन हेतु सभी का आह्वान किया। कार्यकारिणी सदस्यों ने गत बैठक के पश्चात् दिवगंत शिक्षक साथियों प्रो. विमला शर्मा-कोटा, प्रो. विजय श्रीमाली-उदयपुर, प्रो. महेन्द्र शर्मा-खैरवाड़ा, प्रो. डी.डी. पारीक-ब्यावर, प्रो. जी. आर. वर्मा भरतपुर, प्रो. अश्विनी गर्ग-किशनगढ़, प्रो. रतन सिंह परमार-बाड़मेर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति हेतु दो मिनट मौन रखकर प्रार्थना की तथा उन्हें श्रद्धांजलि दी। सामूहिक कल्याण मंत्र के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

4. **चतुर्थ शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह इन्दौर में सम्पन्न** – भारतीय समाज में शिक्षक का सर्वोच्च सम्मान किया जाता रहा है। शिक्षकों की राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका के आलोक में ऐसे शिक्षक जिनका सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र आराधन तथा समाज निर्माण में लगा है, उनको अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एवं शैक्षिक फाउण्डेशन विगत तीन वर्षों से समारोहपूर्वक सम्मानित कर रहा है। 6 अक्टूबर 2018 को चतुर्थ शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान, विक्रम संवत् 2075 का समारोह इन्दौर में चिन्मय मिशन, चैन्नई के पूज्य स्वामी मित्रानंद जी के गरिमामय सान्निध्य तथा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा के कुलपति प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इन्दौर में सम्पन्न भव्य समारोह में शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान से देश के तीन अग्रणी, सुविख्यात, कर्मयोगी, राष्ट्रीयता बोध से ओत-प्रोत तथा शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले कर्नाटक के प्रो. रामचन्द्रजी भट, महाराष्ट्र की डॉ. स्वर्णलता चन्द्रशेखर भिशीकरजी तथा बिहार के प्रो. नन्द किशोरजी पाण्डेय को पूज्य स्वामी मित्रानंदजी के कर कमलों से सम्मानित किया गया। सम्मान में प्रत्येक सम्मानित शिक्षक को एक लाख रुपये, एक रजत चिह्न, सम्मान पत्र, शाल व श्रीफल से सम्मानित किया गया। शिक्षक सम्मान समारोह में पूज्य स्वामी मित्रानंदजी ने अपने उद्बोधन में सफल एवं श्रेष्ठ शिक्षक बनने के गुरु मंत्र दिए। आपने कहा कि सफलता के लिए शिक्षक को मोहकता के स्थान पर वास्तविक विषय वस्तु पर ध्यान देना होगा, विद्यार्थियों को अच्छा होता बनाना होगा, कार्यपरक सीख देनी होगी तथा नवाचार करने वाला बनाना होगा। मुख्य वक्ता प्रो. भगवती प्रकाश ने कहा कि शिक्षकों को भारतीय वाङ्मय एवं भारतीय दर्शन पर कार्य करने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ भारत के निर्माण के संकल्प के साथ कार्य करने से ही शिक्षक सत्य का प्रतिपादन कर सकेगा। इस अवसर पर सम्मानित शिक्षकों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एवं शैक्षिक फाउण्डेशन को साधुवाद दिया और सतत रूप से भारत निर्माण के कार्य में लगे रहने की शुभकामनाएँ दी। इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र के मुख्य कार्यकर्ताओं, महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण व गणमान्य व्यक्तियों सहित विशाल संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। रुक्टा (राष्ट्रीय) की ओर से समारोह में अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह, संगठन मंत्री डॉ. ग्यारसीलाल जाट, महामंत्री, सहसंगठन मंत्री डॉ. सुशील बिस्सु एवं डॉ. दीपक शर्मा उपस्थित रहे।

5. **राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय साधारण सभा सम्पन्न** – अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय साधारण सभा की बैठक दिनांक 6 व 7 अक्टूबर 2018 को ओरियन्टल यूनिवर्सिटी, इन्दौर (म. प्र.) में सम्पन्न हुई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गुरुवंदन कार्यक्रम, शाश्वत् जीवन-मूल्य जनजागरण अभियान, अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन 'वसुधैव कुटुम्बकम्' आदि कार्यक्रमों की समीक्षा की गई एवं इनके सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों पर कार्य करने का निर्णय लिया गया। अगले वर्ष फरवरी माह में मातृ-शक्ति को केन्द्र बनाते हुए दिल्ली में एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाने पर सहमति बनी। सातवें वेतनमान की सिफारिशें तथा उच्च शिक्षा के लिए नवीन यू.जी.सी. वेतनमान कुछ राज्यों में लागू हुए हैं। इन्हें सम्पूर्ण देश में एक समान रूप से लागू करवाने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्णय लिया गया। महासंघ के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर द्वारा दी गई। महासंघ की 7 अक्टूबर 2018 को सम्पन्न राष्ट्रीय साधारण सभा की बैठक में महासंघ के अंकेक्षित आय-व्यय

का लेखा-जोखा तथा महामंत्री प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया। विचार विमर्श के पश्चात् महासंघ की राष्ट्रीय साधारण सभा द्वारा तीन प्रस्ताव भी पारित किये गये। 1. मातृशक्ति के उत्कर्ष एवं सम्मान की आवश्यकता 2. शिक्षा में नवोन्मेष तथा 3. शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण अविलम्ब किया जाये। इन प्रस्तावों को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजने का भी निर्णय लिया गया। अध्यक्षीय उद्‌बोधन में प्रो. जे. पी. सिंघल ने महासंघ के कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि सभी के मन में महासंघ का ध्येय स्पष्ट हो, किये जाने वाले कार्य को करने के प्रति निष्ठा हो और अपनत्व की भावना हो तो कोई भी ऐसी चुनौती नहीं हो सकती जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके। अन्त में आयोजकों एवं महामंत्री द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया तथा सामूहिक कल्याण मंत्र के साथ सभा सम्पन्न हुई। रुक्टा (राष्ट्रीय) की ओर से अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह सहित 5 कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया।

6. **'भाषा एवं ज्ञान का अन्तः संबंध' विषय पर संगोष्ठी सम्पन्न** - संगठन के कोटा विभाग के तत्त्वावधान में भाषा एवं ज्ञान का अन्तः संबंध विषय पर प्रांतीय संगोष्ठी का आयोजन राजकीय महाविद्यालय कोटा में किया गया। भाषा व ज्ञान के संबंध पर चार सत्रों में लगातार मंथन किया गया। उद्‌घाटन सत्र में मुख्य अतिथि मौनी बाबा लोक कल्याण ट्रस्ट की महंत डॉ. हेमानंद सरस्वती ने इस अवसर पर कहा कि पूरी दुनिया को हिंदुस्थान ने संस्कृत भाषा एवं देवनागरी तथा ब्राह्मी लिपि दी है। दुनिया का सबसे समृद्ध व्याकरण दिया है। भाषा हमारी ज्ञानसंपदा की सबसे बड़ी धरोहर है। भारत में शुरू से ज्ञान को जीवन से सीधे जोड़कर देखा गया। गुलामी की बिडम्बना यह रही कि मैकालेवादी शिक्षा पद्धति ने हमारे मन में भारत की ज्ञान परंपरा और भाषा के प्रति हीनताबोध पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया कि हम इससे मुक्त होकर भविष्य के भारत को अपने ज्ञान व भाषा से फिर विश्व गुरु बनाने में अपनी भूमिका निभाएँ। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए राजकीय महाविद्यालय कोटा के प्राचार्य प्रो. आर.एम. कुरैशी ने कहा कि भाषा सहज रूप से हमें जीवन और ज्ञान से जोड़ती है, इस दिशा में अभी बहुत काम किए जाने की जरूरत है। उद्‌घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि राजकीय कला महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. जी. एल.मालव रहे। डॉ. विजय पंचोली ने स्वागत भाषण दिया। डॉ. राजेंद्र माहेश्वरी ने सरस्वती वंदना एवं डॉ. गीताराम शर्मा ने विषय प्रर्वतन किया। डॉ.राहुल सक्सेना ने आभार प्रकट व्यक्त किया।
प्रथम तकनीकी सत्र का बीज वक्तव्य कोटा खुला वि.वि. के प्रोफेसर पी.के. शर्मा ने देते हुए कहा कि भाषा ज्ञान और समय को जब हम सीधे जीवन से जोड़कर चलते हैं तो भाषा हमें अपनी जमीन से सहज रूप से जोड़ देती है। इस सत्र की अध्यक्षता इतिहासविद् डॉ. एम.एल.साहू ने की। सत्र का संचालन डॉ.आदित्य कुमार गुप्त ने किया। द्वितीय तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रो. एस.एन.गर्ग ने कहा कि भाषा सहज रूप से हमें अपने समाज एवं संस्कृति से जोड़ती है। भाषा ही ज्ञान व जीवन का सहज संस्कार है; ज्ञान हमारी प्रज्ञा हो यहीं भाषा की सबसे बड़ी सिद्धि है। सत्र का संचालन डॉ. एम.जेड.ए. खान ने किया। समापन सत्र की मुख्य अतिथि कोटा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉ.नीलिमा सिंह ने कहा कि सबसे पहले ज्ञान माँ की भाषा में मिलता है ज्ञान का आधार ही भाषा होता है, जिस भाषा में ज्ञान प्राप्ति हो उस पर गर्व करना चाहिए। समापन सत्र की अध्यक्षता प्राचार्य प्रो. जी.एल.मालव ने की इस सत्र के विशिष्ट अतिथि प्राचार्य प्रो. आर. एम. कुरैशी रहे। सत्र का संचालन डॉ. प्रहलाद दूबे ने किया व आभार डॉ. मंजू गुप्ता ने प्रकट किया। संगोष्ठी में दो सौ से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में विश्व हिन्दी सम्मेलन मारीशस में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल में शामिल डॉ. आदित्य कुमार गुप्ता , राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षक डॉ. कंचना सक्सेना एवं डॉ.ज्योति सिडाना का सम्मान भी किया गया ।

7. **'अरबन नक्सल्स राष्ट्रीय एकता के लिए अदृश्य खतरे' विषय पर व्याख्यान** - नक्सलवाद या माओवाद सिर्फ दूरदराज के इलाकों घने जंगलों या देश के पिछड़े कोनों तक ही सीमित नहीं है; अपितु इसकी नींव शहरों तक गहरी पड़ी है जहाँ इसको हवा-पानी देने वाले बुद्धिजीवी वर्ग उच्च शिक्षण संस्थानों, कला, साहित्य तथा अन्य बौद्धिक मंचों से जुड़े हुए हैं। यह विचार प्रमुख चिंतक, शिक्षाविद् राजस्थान क्षेत्र के कार्यवाह श्री हनुमान सिंह राठौड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) अजमेर विभाग के तत्त्वावधान में आयोजित 'अर्बन नक्सल देश की एकता के लिए अदृश्य खतरे' विषय पर राजकीय महाविद्यालय अजमेर में 4 नवम्बर 2018 को आयोजित व्याख्यान में व्यक्त किए। उनका कहना था कि जिन गरीब और वंचित वर्ग की ये बात करते हैं उन्हें शायद ही कभी लाभ होता है। पिछड़े इलाकों के नक्सलियों की तुलना में यह लोग ज्यादा खतरनाक हैं, उनके पास एनजीओ एवं विदेशी सहायता के कारण पर्याप्त धन व संसाधन हैं, इसका उपयोग वे जनता को भड़काने और समाज में अराजकता फैला व्यवस्था को अस्थिर करने में करते हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज में बौद्धिक आतंकवाद फैलाने वाले इस वर्ग के मंसूबे प्राथमिक रूप से दृश्यमान नहीं होते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार, असहिष्णुता और नारीवाद जैसे मुद्दों को उठाकर वे अपनी पहचान प्रगतिशील सिविल सोसायटी या लिबरल के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा भारतीय संस्कृति, परिवार और समाज की भारतीय परिभाषाओं पर लगातार सवाल उठाकर आधुनिकता के नाम पर समाज में विखंडन उत्पन्न करने का षडयंत्र इनके द्वारा जारी है। पिछले दिनों ऐसे कुछ लोगों को गिरफ्तार करने पर उनके नेटवर्क से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया कई स्थानों पर देखने को मिली है लेकिन समाज के सभी वर्गों और पंथों के संबंध में उनके विचारों और प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि कुछ विशेष मौको पर ही इनकी सिलेक्टिव प्रतिक्रियाएँ आती हैं। भारत के टुकड़े होने व कश्मीर में आजादी

की माँग को समर्थन देने के समय इनकी प्रतिक्रिया देखी जा सकती है लेकिन यह कश्मीर में सेना के अधिकारों पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। साम्यवाद के अर्बन प्रस्पेक्टिव की अवधारणा से प्रेरित अर्बन माओवादी देश में लोकतंत्र एवम् शासन के विरोध में विमर्श खड़ा कर भारत को अस्थिर करने के लिए प्रयासरत हैं। दलित, मूलनिवासी, सवर्ण, अमीर, गरीब,मजदूर,शोषित, शासक, मालिक जैसे वर्गों में समाज को बाँटकर उनके बीच की खाई और चौड़ी करने में इनके कुप्रयत्नों को कुछ सफलता भी मिली है। उन्होंने आह्वान किया कि जाति, पंथ, संप्रदाय और विचारधारा से ऊपर उठकर बुद्धिजीवियों को राष्ट्रीय एकता के लिए एकमत होकर कार्य करने की जरूरत है तथा इन अरबन नक्सल्स के कारनामों को पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। इससे पूर्व महामंत्री ने संगठन के बारे में बताते हुए विषय की प्रस्तावना रखी। स्वागत विभाग सचिव डॉ. अनिल गुप्ता द्वारा तथा विभाग अध्यक्ष प्रो. पुखराज देपाल द्वारा आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अनिल दाधीच ने किया।

8. **केरल बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ राशि प्रेषित** – संगठन की सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर इकाई द्वारा केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ शिक्षकों से 52525 रुपए सहायता राशि एकत्र की गई। श्री गोविंद सिंह गुर्जर राज. महाविद्यालय नसीराबाद इकाई द्वारा केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ 25300 रुपए की सहयोग राशि इकाई सदस्यों से एकत्रित की गई। इसी प्रकार मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर इकाई द्वारा 45000 रुपये सहयोग राशि एकत्र की गई। इसी प्रकार जयपुर, दयानंद कॉलेज अजमेर, अलवर, बीकानेर, आदि इकाइयों द्वारा भी सहायता राशि एकत्र की गई। एकत्र की गई कुल सहायता राशि सेवा भारती केरल को भिजवाई गई। उल्लेखनीय है कि सेवा भारती और संघ से संबद्ध 85000 से ज्यादा कार्यकर्ता दिन रात बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जुटे रहे।

प्रदेश अधिवेशन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित – संगठन का प्रदेश अधिवेशन हर वर्ष की भाँति इस बार भी दिसम्बर 2018 के अंतिम पखवाड़े से जनवरी 2019 के प्रथम पखवाड़े के मध्य आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अधिवेशन आयोजन हेतु इकाइयों से प्रस्ताव आमंत्रित हैं। इकाई से विधिवत् पारित प्रस्ताव महामंत्री के पते पर डाक से अथवा संगठन के ई-मेल पर भिजवाने का निवेदन है।

राजस्थान में विधानसभा चुनाव दिसम्बर 2018 को सम्पन्न होने हैं। लोकतंत्र के इस सबसे महत्त्वपूर्ण यज्ञ में अपनी आहुति सुनिश्चित करने तथा अपने सम्पर्क मण्डल के बंधु भगिनियों को मतदान हेतु प्रेरित करने का करबद्ध निवेदन है। संगठन आप सभी से आह्वान् करता है कि मतदान करते समय स्थानीय क्षुद्र स्वार्थों एवं जाति-पंथ-संप्रदाय से ऊपर उठकर व्यापक राष्ट्रहित का ध्यान रखें तथा 'योग्यतम उपलब्ध' को चुनने में अपने मत का सार्थक उपयोग करें।

भवदीय

(डॉ. नारायणलाल गुप्ता)
[महामंत्री]

20, चित्रकूट कॉलोनी,
माकड़वाली रोड़, अजमेर-305004

अमृत वचन

''यह हर नागरिक की मुख्य जिम्मेदारी है कि वह महसूस करे कि उनका देश स्वतंत्र है और इसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हर भारतीय को अब यह भूल जाना चाहिए कि वह एक राजपूत, एक सिख या जाट है। उन्हें अवश्य याद रखना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उनके पास अपने देश में हर अधिकार है लेकिन कुछ कर्तव्यों के साथ।''

– सरदार वल्लभ भाई पटेल